क्र.	विवरण	छात्रावासी	दिवा स्कालर
1.	अनुरक्षण भत्ता (10 माह हेतु)	रु. 1000/प्रतिमाह की दर से कुल रु. 10,000/	रु. 500/प्रतिमाह की दर से कुल 5,000/
2.	पाठ्यक्रम शुल्क	रु. 20,000/प्रतिवर्ष या वास्तविक जो भी कम हो	रु. 20,000/वार्षिक या वास्तविक जो भी कम हो

टीप :- मान्यता प्राप्त संस्थाओं एवं पाठ्यक्रमों की जानकारी जिले के सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास एवं वेबसाइट minorityaffairs.gov.in तथा राज्य सरकार की वेब साइट tribal.cg.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।

पात्रता :- 1) यह छात्रवृत्ति उन विद्यार्थियों को दी जावेगी जिनका चयन मान्यता प्राप्त तकनीकी/व्यवसायिक संस्थाओं की प्रवेश परीक्षा में प्रावीण्य के आधार पर हुआ है। 2) यदि विद्यार्थी की प्रवेश बिना प्रतियोगी परीक्षा के हुआ है तो वे भी छात्रवृत्ति पाने के योग्य होंगे, बशर्ते उनका हायर सेकेण्डरी, स्नातक परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक या इससे अधिक हो।
3) जिनके पालक की सभी स्त्रोंतों से आय रुपये 2.50 लाख वार्षिक से अधिक न हो

उपबंध :- 1) 30 प्रतिशत छात्रवृत्ति छात्राओं के लिए चिन्हित की गई है। 2) किसी भी अन्य योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा को इस छात्रवृत्ति की पात्रता नही होगी।
3) किसी भी तरह के त्रुटिपूर्ण/फर्जी जानकारी दिया जाना पाए जाने पर अथवा कसी कदाचरण के प्रमाणित होने पर छात्रवृत्ति निरस्त की जावेगी।

आवेदन की प्रक्रिया :- भारत सरकार के वेबसाइट momascholarship.gov.in में छात्र/छात्रा द्वारा आवेदन पत्र भरकर आनलाइन भरकर संस्था को submit किया जावेगा, उसके पश्चात् उसका प्रिंटआउट निकालकर निकाले गये प्रिंटआउट के साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर अध्ययनरत शैक्षणिक संस्था में जमा किया जावेगा।

संस्था द्वारा आनलाइन के माध्यम से प्राप्त आवेदन की जाँच कर अपने जिला अधिकारी को forward किया जावेगा तत्पश्चात् प्राप्त सभी प्रिंट आउट आवेदन पत्र एवं संलग्न दस्तावेज का परीक्षण कर सूचीबद्ध किया जाकर जिले के सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास कार्यालय में जमा किया जावेगा।

जिले के सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास अपने जिले से प्राप्त आवेदनों का नियमानुसार परीक्षण कर निर्धारित प्रपत्र में प्रस्ताव कार्यालय आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास पं. रविशंकर शु.वि.वि. परिसर, रायपुर में प्रस्तुत किया जावेगा।

विशेष :- उपरोक्त योजनाओं के संबंध में जानकारी के लिए भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय नई दिल्ली की वेबसाइट minorityaffairs.gov.in में तथा राज्य सरकार की वेब साइट tribal.cg.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा दूरभाष क्र. 0771-226 3901 को हेल्प लाइन नम्बर घोषित किया है।

कृपया विस्तृत जानकारी के लिए जिले के सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास से सम्पर्क करें

उपायुक्त
वास्ते-आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
पं.रविशंकर शुक्ल वि.वि. परिसर, रायपुर पिन कोड - 492010

छत्तीसगढ़ शासन

अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति

भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, बौद्ध एवं पारसी समुदाय) के छात्र-छात्राओं के शैक्षणिक विकास के प्रयासों को प्रोत्साहित करने तथा शिक्षा के लिए पड़ने वाले आर्थिक भार को कम करने के उद्देश्य से निम्नांकित योजनाएँ प्रारंभ की गई है :-

1. मैट्रिक पूर्व (प्री. मैट्रिक) छात्रवृत्ति
2. मैट्रिकोत्तर (पोस्ट मैट्रिक) छात्रवृत्ति
3. प्रावीण्यता सह साधन आधारित (मेरिट कम मीन्स) छात्रवृत्ति

भारत सरकार द्वारा छात्रवृत्ति की योजनाओं के तहत् राज्य के अल्पसंख्यकों की जनसंख्यावार लाभान्वितों की संख्या नियत की जाती है। अतः नियत संख्या से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर निर्धनता सह प्रावीण्यता के आधार पर चयन किया जाएगा। कुल देय छात्रवृत्तियों का न्यूनतम 30 प्रतिशत छात्राओं को देय होगा परन्तु वांछित संख्या तक छात्राओं के आवेदन पत्र प्राप्त न होने पर उक्त छात्रवृत्ति छात्रों को दी जा सकेगी।

भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा उपर्युक्त योजनाओं का क्रियान्वयन राज्य सरकारों के माध्यम से किया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य में उपर्युक्त योजनाओं के क्रियान्वयन का दायित्व आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग पर है।

योजनाओं की संक्षिप्त जानकारी निम्नानुसार है :-

1. मैट्रिक पूर्व (प्री. मैट्रिक) छात्रवृत्ति

यह छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक वर्ग के कक्षा 1 से 10 तक के उन विद्यार्थियों को प्राप्त हो सकेगी जो भारत के अन्दर शासकीय तथा निजी स्कूलों के साथ-साथ शासकीय आवासीय स्कूल तथा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त एवं अधिसूचित निजी आवासीय शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत है। प्रति शिक्षण वर्ष में 10 माह हेतु निम्नानुसार प्रवेश शुल्क शिक्षण तथा भरण-पोषण भत्ता प्रदान किया जाता है :-

क्र.	विवरण		छात्रावासी	दिवा स्कालर (गैर छात्रावासी)
1.	कक्षा 1 ली से 5 वीं तक (भरण-पोषण भत्ता)		-	100/- प्रतिमाह
2.	कक्षा 6 वीं से 10वीं तक	प्रवेश शुल्क	500/ प्रतिवर्ष	500/ प्रतिवर्ष
		शिक्षण शुल्क	350/ प्रतिमाह	350/ प्रतिमाह
		भरण पोषण भत्ता	600/ प्रतिमाह	100/ प्रतिमाह

पात्रता :- 1) पिछली वार्षिक परीक्षा में (कक्षा 1 को छोड़कर) 50 प्रतिशत या अधिक अंक
2) पालक की वार्षिक आय 1.00 लाख से अधिक न हो।

उपबंध :- 1) यह छात्रवृत्ति एक परिवार के केवल दो विद्यार्थियों को दी जा सकेगी।
2) 30 प्रतिशत छात्रवृत्ति छात्राओं के लिए चिन्हित की गई है।
3) किसी भी अन्य योजनांतर्गत छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा को इस छात्रवृत्ति की प्रात्रता नहीं होगी।

4) छात्रवृत्ति का नवीनीकरण विगत परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने एवं निर्धारित वार्षिक आय पर किया जावेगा।

5) किसी भी तरह त्रुटिपूर्ण/फर्जी जानकारी दिया जाना, पाए जाने पर अथवा किसी कदाचरण के प्रमाणित होने पर छात्रवृत्ति निरस्त की जावेगी।

आवेदन करने की प्रक्रिया :-

1) आवेदन पत्र में आवश्यक पूर्ति कर अंकसूची, आय, समुदाय के इत्यादि के संबंध में निर्धारित घोषणा पत्र संलग्न कर अध्ययनरत शैक्षणिक संस्था में छात्र/छात्राओं के द्वारा जमा किया जावेगा।

2) छात्र/छात्राओं के द्वारा प्रस्तुत उक्त आवेदन एवं संलग्न दस्तावेजों का सत्यापन संबंधित शैक्षणिक संस्था प्रमुख द्वारा किया जाकर आवेदनों को सूचीबद्ध कर जिले के सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास को प्रस्तुत किया जावेगा।

3) जिला सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास अपने जिले से प्राप्त समस्त आवेदनों का नियमानुसार परीक्षण कर निर्धारित प्रपत्र में प्रस्ताव कार्यालय आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर रायपुर प्रस्तुत किया जावेगा।

टीप :- आगामी वर्षो में इस योजना को आनलाइन करने पर विचार किया जा रहा है।

2. मैट्रिकोत्तर (पोस्ट मैट्रिक) छात्रवृत्ति

यह छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक वर्ग के कक्षा 11 एवं 12वीं, स्नातक एवं स्नातकोत्तर तथा एम फिल एवं पी.एच.डी में अध्ययनरत/शोधरत विद्यार्थियों को जो भारत के अन्दर शासकीय तथा निजी स्कूलों के साथ-साथ शासकीय आवासीय स्कूल तथा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त एवं अधिसूचित निजी आवासीय शैक्षणिक संस्थाओं महाविद्यालय/विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत है। प्रति शिक्षण वर्ष में 10 माह हेतु निम्नानुसार प्रवेश शुल्क, शिक्षण तथा भरण-पोषण भत्ता प्रदान किया जाता है :-

क्र.	विवरण	छात्रावासी	दिवा स्कालर
1.	प्रवेश एवं शिक्षण शुल्क कक्षा 11वीं एवं 12वीं	7,000/ प्रतिवर्ष	7,000/प्रतिवर्ष
2.	प्रवेश एवं शिक्षण शुल्क कक्षा 11वी से 12 वी स्तर के तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम	10,000/ प्र.वर्ष	10,000/प्रतिवर्ष
3.	प्रवेश एवं शिक्षण शुल्क स्नातक एवं स्नाकोत्तर	3,000/प्रतिवर्ष	3,000/प्रतिवर्ष
4.	अनुरक्षण भत्ता (10 माह हेतु)		
	1. कक्षा 11वीं से 12वीं एवं इस स्तर के तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम	380/प्रतिमाह	230/प्रतिमाह
	2. स्नातक एवं स्नाकोत्तर (तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम छोड़कर)	570/प्रतिमाह	300/प्रतिमाह
	3. एम.फिल और पी.एच.डी.	1200/प्रतिमाह	550/प्रतिमाह

पात्रता :- 1) जिन्होने पिछली वार्षिक परीक्षा में 50 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त किया हो।

2) जिनके पालक की सभी स्त्रोतों से आय रुपये 2.00 लाख वार्षिक से अधिक न हो।

उपबंध :- 1) यह छात्रवृत्ति एक परिवार के केवल दो विद्यार्थियों को दी जा सकेगी।

2) 30 प्रतिशत छात्रवृत्ति छात्राओं के लिए चिन्हित की गई है। 3) किसी भी अन्य योजनांतर्गत छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा को इस छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी। 4) छात्रवृत्ति का नवीनीकरण विगत परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने एवं निर्धारित वार्षिक आय पर किया जावेगा। 5) किसी भी तरह के त्रुत्रिपूर्ण/फर्जी जानकारी दिया जाना पाए जाने पर अथवा किसी कदाचरण के प्रमाणित होने पर छात्रवृत्ति निरस्त की जावेगी।

आवेदन की प्रक्रिया :- इस योजनान्तर्गत इस वर्ष से आवेदन की प्रक्रिया को आनलाइन के माध्यम से किया जाना है, जो निम्नानुसार है :-

क्र. कक्षा/ पाठ्यक्रम	आवेदन के लिए माध्यम	आवेदन हेतु निर्धारित प्रक्रिया
1. 11वी एवं 12 वी हेतु	पूर्व वर्ष के अनुसार	छात्र/छात्रा द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर सीधे संस्था/विद्यालय को प्रस्तुत किये जावेंगे। संस्था द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र एवं संलग्न दस्तावेज का परीक्षण कर सूचीबद्ध किया जाकर जिले के सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कार्यालय में जमा किया जावेगा।
2. स्नातक/ स्नातकोत्तर / एम.फिल/ पी.एच.डी. हेतु	आनलाइन इंटरनेट के माध्यम से	1. भारत सरकार के वेबसाइट http://momascholarship.gov.in में आनलाइन आवेदन किया जाकर अपनी संस्था को forward/ submit किया जावेगा। इसके पश्चात उसका प्रिंट आउट निकालकर, निकाले गये प्रिंटआउट के साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर अध्ययनरत शैक्षणिक संस्था में जमा किया जावेगा। 2. संस्था द्वारा आनलाइन के माध्यम से प्राप्त आवेदन में आवश्यक दस्तावेजों का जाँच कर आनलाइन forward किया जावेगा। तत्पश्चात् प्राप्त सभी आवेदनपत्रों के प्रिंट आउट एवं संलग्न दस्तावेजों का परीक्षण कर सूचीबद्ध किया जाकर जिला के सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास कार्यालय में जमा किया जावेगा

1. आवेदन पत्र में आवश्यक पूर्ति कर अंकसूची, आय, समुदाय इत्यादि के संबंध में निर्धारित घोषणा पत्र संलग्न कर अध्ययनरत शैक्षणिक संस्था में छात्र, छात्राओं के द्वारा जमा किया जावेगा।

2. छात्र/छात्राओं के द्वारा प्रस्तुत उक्त आवेदन एवं संलग्न दस्तावेजों का सत्यापन संबंधित शैक्षणिक संस्था प्रमुख द्वारा किया जाकर एकजाई आवेदनों को सूचीबद्ध कर जिले के सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास को प्रस्तुत किया जावेगा।

3. जिले सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास अपने जिले से प्राप्त समस्त आवेदनों का नियमानुसार परीक्षण कर निर्धारित प्रपत्र में प्रस्ताव कार्यालय आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर, रायपुर में प्रस्तुत किया जावेगा।

टीप :- आगामी वर्षो में कक्षा 11वी एवं 12 वीं को भी आनलाइन करने पर विचार किया जा रहा है।

पोस्ट मैट्रिक आवेदन की पात्रता, प्रक्रिया आदि की जानकारी राज्य सरकार की वेब साइट tribal.cg.gov.in पर भी उपलब्ध है।

3 मेरिट सह साधन आधारित (मेरिट कम मीन्स) छात्रवृत्ति :-

यह छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक वर्ग के स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर पर तकनीकी एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में भारत में स्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियो को दी जाती है।

4. सामुदायिक मंगल भवन निर्माण योजनाः

इस योजना के अंतर्गत अनुचित जाति बाहुल्य ग्रामों में निवासरत अनु.जाति वर्ग के लोगों के सांस्कृतिक समाजिक कार्यो को संपन्न करने एवं समाजिक समरसता में वृद्धि करने हेतु मंगल भवनों का निर्माण किया जाता है।

5. विभागिय संस्थाओं के लिये भवनों का निर्माणः

योजनांतर्गत भवन विहीन छात्रावासों/आश्रमों, उच्चतर माध्यमिक शालाओं, हाई स्कूलो के लिये भवनो का निर्माण एवं साधारण मरम्मत के कार्य एवं अन्य निर्माण कार्य ऐजेन्सीयों के माध्यम से कराये जाते है।

6. जैतखाम निर्माणः

महान संत गुरुधासी दास जी का जन्म स्थली गिरौदपुरी में कुतुब मिनार से भी ऊचा जैतखाम का निर्माण कराया जा रहा है।

7. युवा कैरियर निर्माण योजना-

अनु.जनजाति एवं अनु.जाति वर्ग के स्नातकों को संध एवं राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी हेतु विशेष कोचिंग प्रदान करने के लिये प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थान का चयन करके र. एवं बिलासपुर में प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है। इस प्रक्रि या से पिछड़ा वर्ग के लोग भी लाभन्वित होंगे।

आदिवासी संस्कृति का संरक्षण एवं विकास

1. देवगुड़ी विकास योजना-

अनु.जनजाति बाहुल्य ग्रामों में स्थित देवस्थल के विकास हेतु इस योजना में प्रत्येक गाम को 25000/- रुपये की राशि प्रदाय की जाती है। इस योजना में 1000 ग्रामों को लाभान्वित किया जा चुका है।

2. आदिवासी सांस्कृतिक दलों को सहायता योजना-

इस योजना के तहत आदिवासी संस्कृति को अक्षुण्य बनाये रखने हेतु उनके पारंपरिक संस्कृति के परिरक्षण विकास हेतु सांस्कृतिक दलों को आवश्यक सामाग्रियों की व्यवस्था हेतु सहायता दिया जाता है। इसके तहत दल को रुपये 10000/- मात्र सहायता देने का प्रवधान है, जिसके तहत प्रत्येक विकासखण्ड से अंधिकतम पांच दलों को सहायता दिया जाना है।

लोक कला महोत्सव

1. शहीद वीरनारायण सिंह समृति आदिवासी लोककला महोत्सव -

प्रति वर्ष 10 दिसम्बर को आदिवासी लोककला महोत्सव का आयोजन शहीद वीर नारायण सिंह की जन्मस्थली सोनाखान में किया जाता है उसमें आदिवासी लोक नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन कर उत्कृष्ठ दलों को पुरुस्कृत किया जाता हा।

2. गुरु घासीदास लोक कला महोत्सव-

अनुसूचित जाति लोक नृत्य जैसे पंथी, चौका आदि का आयोजन कर उत्कृष्ठ दलों को पुरुस्कृत किया जाता है इसका आयोजन प्रतिवर्ष 18 दिसम्बर से 31 दिसम्बर के मध्य किया जाता है।

विभाग के अंतर्गत संचालित प्राधिकरणः

1. अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण-

रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, धमतरी, कवर्धा, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा एवं जांजगीर जिलों को मिलाकर अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है, इसके माध्यम से अनुसूचित जाति बाहूल्य ग्रामों के विकास के लिये योजनायें संचलित की जा रही है।

2. बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र विकास प्राधिकरणः

उत्तर बस्तर, कांकेर दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा, जगदलपुर, एवं एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना क्षेत्र नगरी गरियाबंद, डौंडी एवं राजनांदगांव को मिलाकर गठन किया गया है। इसके माध्यम से स्थानिय विकास के कार्य सुगमता से स्वीकृत किये जस रहे है।

3. भुंजिया एवं कमार विकास प्राधिकरणः

भूंजिया एवं कमार जनजाति के विकास हेतु पृथक से बजट प्रावधान रखकर विकास की योजनायें संचालित की जाती है।

छत्तीसगढ़ शासन

मान. डा. रमन सिंह जी
मुख्य मंत्री
छ.ग. शासन

मान. केदार कश्यप जी
मंत्री
अ.जा. एवं अ.ज.जा. विकास विभाग

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

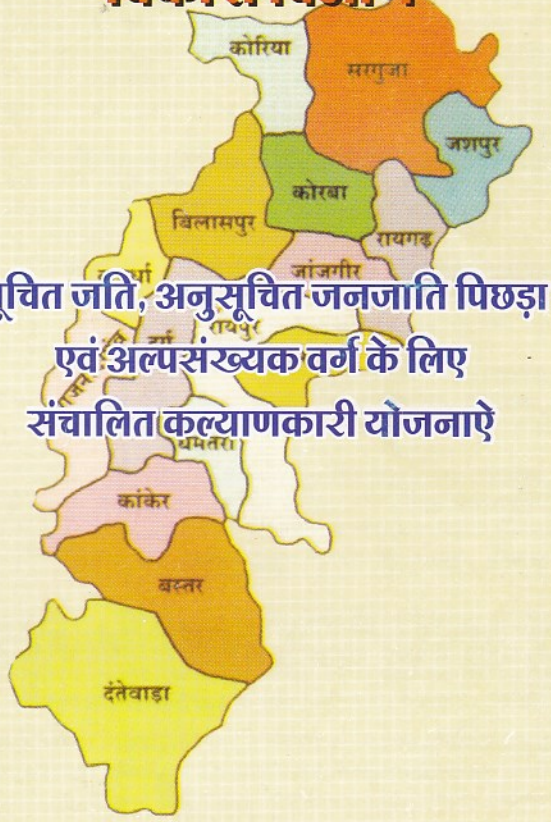

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के लिए संचालित कल्याणकारी योजनाऐ

इसी तरह उक्त योजनांतर्गत अनुसूचित जनजाति के १७ छात्राओं को सैंट्रल एयर होस्टेस संस्था, रायपुर में प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है। प्रशिक्षण फीस की प्रतिपूर्ति हेतु संस्था को 11,02,500/- रुपये का भुगतान किया गया है। उक्त प्रशिक्षण की अवधि 1 वर्ष की होती है।

पायलट प्रशिक्षण हेतु वर्तमान कोई भी छात्र प्रशिक्षण नहीं ले रहे हैं।

22. आदर्श शाला पुरस्कार योजना:

इस योजना का उद्देश्य हाई स्कूल/उ.मा.वि. में स्वच्छ शैक्षाणिक प्रतिस्पर्धा उत्पन्न कराना है। इसके तहत प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ तीन शालाओं को शैक्षाणिक वर्ष में किये गये उपलब्धीयों हेतु पुरस्कृत किया जाता है। जिसमे प्रथम पु. 3,00,000/- द्वितीय पु. 2,00,000/- तृतिय पु. 1,00,000/- नगद दिया जाता है।

23. आदर्श शिक्षक पुरस्कार-

इस योजना का उद्देश्य स्कूल शिक्षा विभाग एवं आदिवासी विकास विभाग द्वारा संचालित शालाओं के शिक्षकों द्वारा उत्कृष्ठ परीक्षा परिणाम देने/अनुशासन नियमितता एवं आदिवासी शिक्षा के विकास में उच्च प्रतिभा स्थापित करने के आधार पर आदर्श शिक्षक का चयन कर प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कृत किया जाना है।योजनांतर्गत चयनित शिक्षकों को शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में निर्धारित पुरस्कार राशि एवं प्रशस्ती पत्र प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार जिला एवं राज्य स्तर पर दिया जाता है।

24. कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना:

इस योजना का उद्देश्य अनु.जाति तथा अनु.जनजाति वर्ग के छात्रावास/आश्रम में अध्ययरत् विद्यार्थियों को कम्प्यूटर फ्रेण्डली बनाना है, जिससे वे कम्प्यूटर आधारित शिक्षण एवं कार्य में दक्ष हो सके, जिसमें कक्षा 6 वीं से 12 वीं एवं उच्च कक्षाओं के विद्यार्थी पात्र होंगे। इस प्रशिक्षण की अवधि 6 माह की होगी एवं प्रशिक्षण नि:शुल्क होगा।

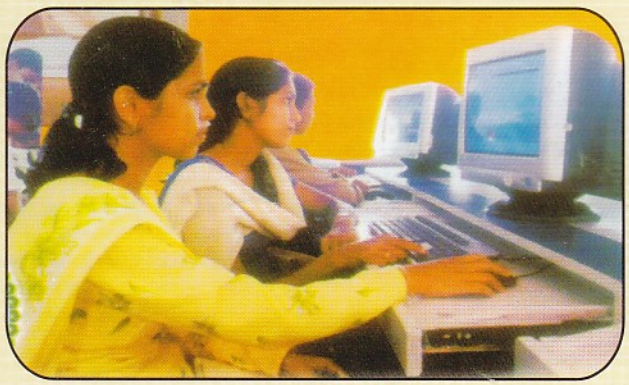

25. अनुसूचित जाति /जनजाति युवाओं को नि:शुल्क वाहन चालक प्रशिक्षण योजना - 2008:

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा अनुसूतिच जाति/जनजाति के युवाओ को नि:शुल्क वाहन चालक प्रशिक्षण योजना के तहत वर्ष 2009-10 में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 18 सीट का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योजना के तहत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में प्रशिक्षण दिये जाने का प्रावधान है, इन्हें वाहन चालक - सह मैकेनिक का भी प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रशिक्षण पर होने वाला व्यय एवं व्यवसायिक लाइसेंस का निधारित शुल्क विभाग द्वारा वहन किये जाने का प्रावधान है, प्रशिक्षण छः माह का होगा।

प्रशिक्षणार्थियों को भोजन की व्यवस्था हेतु 500/- शिष्यवृत्ति कम से कम 90 प्रतिशत उपस्थिति होने पर ही देय होगी। प्रशिक्षणार्थियों के रहने के लिए छात्र गृह योजना की भांति जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित मकान के किराये का भुगतान विभाग के द्वारा मकान मालिक को किया जायेगा। इसके अलावा बिजली एवं जल व्यवस्था के लिए विभाग द्वारा भुगतान किया जायेगा।प्राप्त आवेदन पत्रों के परीक्षणोपरांत कक्षा आठवीं के प्राप्तांक के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार कर प्रशिक्षणार्थियों का चयन किया जायेगा।

26. समाजिक व आर्थिक सहायता की योजनाएं:

1. आकस्मिकता योजनाएं-

अनु.जाति तथा अनु.जनजाति के लोगों को सवर्ण द्वारा उत्पीड़न, हत्या, बलात्कार, अपमानित करने शारीरिक आधात पहुंचाने, संपत्ति को हानि पहुंचाने आदि के मामले में विभाग द्वारा पीड़ितों को तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। विभिन्न प्रकरणों में राशि की सीमा 25000/- से 200000/- तक है साथ ही उत्पीड़ित व्यक्ति एवं उनके परिवार को पेयजल, कृषिभुमि, बच्चों की शिक्षा सामाजिक पुनर्वास स्वरोजगार, विकलांगो को कृत्रिम अंग आदि हेतु सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

2. राहत योजना-

इस योजना के तहत साधनहीन कन्याओं के विवाह हेतु रुपये 1500/- एवं ऐसी कन्या जिनके मां-बाप ना हो उनके विवाह हेतु 3000/- की आर्थिक सहायता की जाती है साथ ही आकस्मिक दुर्घटना अति संकटपन्न स्थिति में प्रकरण की परिस्थिति के अनुरूप अधिकतम रुपये 2000/- तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती हैं

3. नाई पेटी योजना:

इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पंरपरागत बाल काटने के व्यवसाय में लगे लोगों को प्रोत्साहित कर स्थानीय स्तर पर रोजगार सुनिश्चित कर शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन रोकना, इसके तहत पेटी एवं बाल कटिंग से संबंधित आवश्यक औजार एवं अन्य सामग्रियां चयनित हितग्राहियों को नि:शुल्क प्रदान करने का प्रावधान है।

4. सद्भावना शिविर का आयोजन:

अस्पृश्यता निवारण हेतू सभी वर्गो के लोगो के बीच सौहार्द्रपूर्ण वातावरण के निर्माण के उद्देश्य से अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र में प्रति वर्ष सद्भावना शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसमें वर्ण भेद रहित सामूहिक भोज, वाद-विवाद प्रतियोगिता आदि का कार्यक्रम किया जाता है।

5. अर्न्तजातीय विवाह:

किसी संवर्ण हिन्दु युवक/युवती का अनुसूचित जाति के युवक/युवती से विवाह करने पर ऐसे आदर्श प्रस्तुत करने वाले दम्पत्ति को पूर्व में 6000/- नगद एवं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित कि[illegible]ने का प्रावधान था, जिसे छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आदेश दिनांक 28-08-2009 द्वारा बढ़ाकर 25000/- किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2009-10 में योजनांतर्गत 13 दम्पत्तियों का चयन किया गया है तथा उन्हें 6000/- प्रति दम्पत्ति के मान से कुल 78000/- स्वीकृत किया गया है उन्हें शिविर में नगद राशि एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जावेगा।

6. रविदास चर्म शिल्प योजना 2008:

इस योजना के तहत परंपरागत चर्मशिल्प/ मरम्मत /पालिस व्यवसाय में लगे अनुसूचित जाति के लोगों को स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार हेतु सहायता उपलब्ध कराई जाती है। ऐस व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें पेटी नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाती है, जिससे चर्मशिल्प /मरम्मत/पालिस से संबंधित कार्य हेतु उपयोगी हो सकें।

हितग्राहियों का चयन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सभा एवं शहरी क्षेत्र में नगरीय निकाय द्वारा किया जाता है। चयनित हितग्राहियों की सूची जनपद /नगरीय निकाय के माध्यम से सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास को भेजी जाती है। चयनित हितग्राहियों को मात्र एक ही बार पेटी प्रदान की जाती है।

क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम

1. स्थानीय विकास कार्यक्रम:

योजनांतर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता के मद में प्राप्त राशि परियोजना सलाहकार मंडल की सलाह एवं स्वीकृति से जिले की आदिवासी उपयोजना क्षेत्र एवं माड़ा पॉकेट क्षेत्र में स्थानीय आव[illegible]ा के अनुरूप प्राथमिकता के आधार पर पेय जल सुविधा, पहुंचमार्गों, पुल, पुलियों, रपटों का निर्माण शिक्षा संस्था भवनो में अतिरिक्त कमरों का निर्माण, चिकित्साक आवास गृह आदि के निर्माण कार्य संपन्न कराये जाते हैं, तथा इस राशि से परिवार मूलक कार्य भी किये जाते है।

2. क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम:

जले के 80% से अधिक अनु.जाति बाहुल्य ग्रामों, टोलों में मुलभूत आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शासन से प्राप्त अनाबद्ध राशि से स्थानिय जरूरत एवं प्राथमिकता के आधार पर पेय जल सुविधा, नाली, खरंजा निर्माण, प्राथमिक शाला भवनों का निर्माण, छात्रावासों/आश्रमों को न्यूनतम आवश्यक सामाग्रियों का प्रदान सामुहिक सिंचाई आदि कार्य जनपद पंचायतों के माध्यम से कराये जाते है।

3. अनुसुचित जाति बस्तियों का सघन विकास:

योजनांतर्गत प्राप्त राशि से अनु.जाति बाहुल्य बस्तियों टोलों में बुनियादी सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये पहुंच मार्ग निर्माण एवं मरम्मत, गंदे पानी की निकासी हेतु नाली का निर्माण, सामुदायिक भवन, पेयजल व्यवस्था आदि सार्वजनिक उपयोग के कार्य्र जनपद पंचायत के माध्यम से संपन्न कराये जाते है।

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाएँ

(अ) शैक्षणिक विकास की योजनायें:-

1- राज्य छात्रवृत्ति
कक्षा 6 वीं से 10 वीं तक की कक्षाओं में अध्ययनरत् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग विद्यार्थियों को शिक्षण वर्ष के माह जून से मार्च तक 10 माह हेतु निम्नांकित दरों पर राज्य छात्रवृत्ति दी जाती है।

	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति		पिछड़ा वर्ग	
कक्षा	बालक	बालिका	बालक	बालिका
कक्षा 6 वीं से 8 वीं	300/-	400/-	150/-	225/-
कक्षा 9 वीं से 10 वीं	400/-	500/-	225/-	300/-

इसके अतिरिक्त कक्षा तीसरी से पांचवी की कक्षाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/अ.ज.जा. की बालिकाओं को एक शैक्षणिक वर्ष के 10 माह हेतु रु. 25/- मासिक (कुल रुपय 250 छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है)।
अनुसूचित जाति/अ.ज.जा. के विद्यार्थियों को दी जाने वाली राज्य छात्रवृत्ति के लिये कोई आय सीमा निर्धारित नही है। पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को जिनके पालक आयकर दाता ना हो या जिनके पास 10 एकड़ से कम कृषि भूमि हो उन्हे राज्य छात्रवृत्ति की पात्रता है।

2- मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति:
अनु. जाति एवं जनजाति के कक्षा 11 वीं एवं 12 वीं एवं उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत छात्रों को जिनके पालकों की वार्षिक आय 100000/- तक होने पर मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। पिछडत्रा वर्ग के ऐसे विद्यार्थी जिनके पालक की वार्षिक आय 9000/- तक हो उन्हे पूरी एवं जिनकी वार्षिक आय रुपय 9001/- से 25000/- तक हो उन्हे आधी छात्रवृत्ति की पात्रता होगी।
अनु. जाति एवं जनजातियों के विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति

क.	समूह कक्षा	गैर छात्रावासी	छात्रावासी
1.	चिकित्सा/इंजीनियरिंग/बी.एस.सी. (कृषि)	330	740
2.	बी.पी.एड./एम.पी.एड., बी.बी.एस.सी.	330	510
3	पालिटेकनिक (प्रथम,द्वितिय एवं तृतिय वर्ष) एम.ए., एम.कॉम.,एम.एच.एस.सी. और एल.एल.बी. (प्रथम,द्वितिय एवं तृतिय वर्ष)	330	510
4.	बी.ए., बी.कॉम, बी.एस.सी, बी.एच.एस.सी (प्रथम वर्ष) 11 वीं, 12 वीं (10+2)	140	235
5-	बी.ए. बी.कॉम., बी.एस.सी. (द्वितिय एवं तृतिय वर्ष)	185	355

इसके अतिरिक्त व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेशित अनु.जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों को जिन्हे पा. में छात्रवृत्ति की पात्रता नही है। उन्हे देय शिक्षण शुल्क/विकास शुल्क में निम्नानुसार छुट दी जाती है।

वार्षिक आय छुट- रुपये 100000/- से 200000 तक की पूरी फीस शिक्षण शुल्क
रुपये 200000/- से 250000/- तक आधी फीस शिक्षण शुल्क

अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित छात्र/छात्राओ के लिए छात्रवृत्ति

अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को छात्रवृत्ति की केन्द्र प्रायोजित योजना 1- 4-2008 से प्रभावी है। इस योजना के तहत प्री मै०,पो० मै० एवं मेरिट सह साधान आधारित योजना संचालित है। इस योजना के तहत मुस्लिम,सिख,ईसाई, बौद्ध एवं पारसी समुदाय के छात्र/छात्रा लाभान्वित होंगे:-

प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति :-

यह छात्रवृत्ति कक्षा 01 से 10 तक के उन छात्र/छात्राओं को दी जाती है। जिनके माता-पिता/अभिभावक की सभी स्त्रोंतों से वार्षिक आय 1,00,000/-(एक लाख) से ज्यादा न हो एवं पिछली परीक्षा में 50% से कम अंक प्राप्त न किये हों। छात्रवृत्ति पूरे पाठ्यक्रम के लिए प्रदान की जाएगी.अनुरक्षण भत्ता एक शैक्षणिक वर्ष 10 माह की अवधि के लिए दिया जाएगा। छात्रवृत्ति की दर निम्नानुसार है:-

क्र.	मद	हॉस्टलवासी	दिवासकॉलर
1	कक्षा 6 से 10 के लिये प्रवेश शुल्क	वास्तविक या 500 रु. प्रतिवर्ष	वास्तविक या 500 रु प्रतिवर्ष
2	कक्षा 6 से 10 के लिये शिक्षक शुल्क	वास्तविक या 350 रु प्रतिमाह	वास्तविक या 350 रु प्रतिमाह
3	एक शैक्षिक वर्ष में केवल 10 माह के लिये ही अनुरक्षक भत्ता प्रदान किया जायेगा	वास्तविक या 350 रु प्रतिमाह	वास्तविक या 350 रु प्रतिमाह
I	कक्षा 1 से 5	शुन्य	100 प्रति माह
	कक्षा 6 से 10	वास्तविक या 600 रु. प्रतिमाह	100 रु. प्रतिमाह

पो०मै०छात्रवृत्ति:-
यह छात्रवृत्ति अल्प संख्यक समुदाय के आर्थिक रुप से कमजोर निधारित छात्रों को प्रदान की जाती है। यह कक्षा 11 एवं 12 स्तर के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र में तकनीकी एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रम को कवर करेंगी, जो राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषदे संबंधित है। इस छात्रवृत्ति पिछली परीक्षा में ५० से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राएं जिनके माता/पिता/अभिभावक की सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय 2,00,000/- (दो लाख) रुपये से अधिक न हो पात्र होते है। छात्रवृत्ति पूरे पाठ्यक्रम के लिए प्रदान की जाएगी अनुरक्षण भत्ता एक शैक्षणिक वर्ष 10 माह की अवधि के लिए नहीं दिया जाएगा।छात्रवृत्ति की दर निम्नानुसार है-

छात्रवृत्ति की दर

क्र.	मद	हॉस्टलवासी	दिवासकॉलर (राशि रुपयों में
1	कक्षा 11 से 12 के लिये दाखिला तथा प्रवेश शुल्क	वास्तविक अधिकतम 7000 रु. प्रतिवर्ष	वास्तविक अधिकतम 7000 रु. प्रतिवर्ष
2	कक्षा 11 से 12 के स्तर के तकनिकी तथा व्यवसायिक पाठ्यक्रम 1 शिक्षक शुल्क (कार्यो माल आदि के लिये लिया जमा शुल्क/प्रकार सहित	वास्तविक अधिकतम 10000 रु. प्रतिवर्ष	वास्तविक अधिकतम 10000 रु. प्रतिवर्ष
3	अंडर ग्रेज्युएट और पोस्ट ग्रेज्युएट के लिये दाखिला तथा शिक्षक शुल्क	वास्तविक अधिकतम 3000 रु. प्रतिवर्ष	वास्तविक अधिकतम 3000 रु. प्रतिवर्ष
4	एक शैक्षिक वर्ष में केवल 10 माह के लिये अकरक्षक भत्ता (अध्ययन सामाग्री आदि के लिये खर्च शामिल		
5	(I) कक्षा 11 और 12 और इन स्त के उतकनिकी और यवसायिक पाठ्यक्रमों सहित	235 रु. प्रतिमाह	185 रु. प्रमिह
6	एम. फिल और पी.एच.डी. (यह उन शोधकर्ताओं के लिये है जिन्हे विश्वविद्यालय या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा कोई फेलोशिप प्रदान नही की जाती है)	510 रु. प्रतिमाह	330 रु. प्रमिह

3.मेरिट सह साधन आधारित छात्रवृत्ति

छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक वर्ग के स्नातक पूर्व तथा स्नातकोत्तर स्तर पर तकनिकी एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रमो में भारत के अंदर स्थित शैक्षणिक संस्थाओं तथा भारत सरकार द्वारा सूचित संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को दी जाती है-

क.	विवरण	छात्रावास	दिगर स्कालर
1	2	3	4
1.	अनुरक्षण भत्ता (10 माह हेतु)	रु. 1000/- प्रतिमाह दर से कुल रु. 10,000/-	रु. 500/- प्रति माह की दर से कुल 5,000/-
2.	पाठ्यक्रम शुल्क वास्तविक जो भी कम हो।	रु. 20,000/- प्रति वर्ष या वास्तविक जो भी कम हो।	रु. 20,000/- वार्षिक या
	योग	30,000/-	25,000/-

पात्रता : (1) यह छात्रवृत्ति उन विद्यार्थियों को दी जावेगी जिनका चयन मान्यता प्राप्त तकनीकी /व्यावसायिक संस्थाओं की प्रवेश परीक्षा में प्रावीण्य के आधार पर हुआ है।

(2) यदि विद्यार्थी का प्रवेश बिना प्रतियोगी परीक्षा के हुआ है, तो वे भी छात्रवृत्ति पाने के योग्य होंगे, बशर्ते उनका हायर सेकेण्डरी/स्नातक परीक्षा में न्यूनतम अंक 50 प्रतिशत हो।

(3) पालक की सभी स्त्रोतों से आय रुपये 2.50 लाख वार्षिक से अधिक न हो।

चयन :(1) निर्धनता सह प्रावीण्यता के आधार पर चयन किया जावेगा।

(2) कुल देय छात्रवृत्तियों का न्यूनतम 30 प्रतिशत छात्राओं को देय होगा परंतु वांछित संख्या तक छात्राओं के आवेदन पत्र प्राप्त न होने पर उक्त छात्रवृत्ति छात्रों को दी जा सकेगी।

उपबंध : (1)इंटर्नशिप या हाउसमैनशिप की अवधि में यह छात्रवृत्ति देय नहीं होगी।

(2)छात्रवृत्ति केवल एक स्त्रोत या योजनांतर्गत देय होगी।

(3)किसी भी तरह के त्रुटिपूर्ण /फर्जी जानकारी दिया जाना पाये जाने पर, छात्रवृत्ति निरस्त की जावेगी।

4. पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति

01	मेडिकल तथा इंजीनियर	प्रथम वर्ष द्वितिय व तृतिय वर्ष	100 105	110 115	210 210	220 225
	बी. व्ही एस. बी. एस. सी. कृषि	प्रथम वर्ष द्वितिय व तृतिय वर्ष	100 105	110 115	185 185	195 200
02	डिप्लोमा कोर्सेस इंजीनियरिंग मेडिकल कालेज टेक्नोलॉजी तथा पोस्ट ग्रेजुयेट इन आर्टस एंड कामर्स	प्रथम वर्ष द्वितिय व तृतिय वर्ष	100 105	110 115	125 130	135 145
03	सर्टिफिकेट कोर्सेस इंजीनियरिंग मेडिकल कालेज टेक्नोलॉजी तथा पोस्ट ग्रेजुयेट इन आर्टस एंड कामर्स	प्रथम वर्ष द्वितिय व तृतिय वर्ष	100 105	110 115	125 130	135 145
04	जनरल अप टू ग्रेजवेट लेबल के बाद	प्रथम वर्ष द्वितिय व तृतिय वर्ष	55 70	70 85	100 115	110 130
05	कक्षा 11 वीं से 12 वीं	कक्षा 11 वीं कक्षा 12 वीं	50 55	60 70	100 100	110 110

5. प्राविण्य छात्रवृत्ति:

कक्षा पांचवीं, आठवीं की बोर्ड परिक्षाओं में उत्तीर्ण अनु.जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों को जिले से प्राप्त प्राविण्य सूचि के अनुसार जिले के लिये निर्धारित लक्ष्य एवं प्राविण्यता के आधार पर कक्षा छठवी से आठंवी तक 400 रुपये वार्षिक तथा नवमी से दसवी तक 500 रुपये वार्षिक प्राविण्य छात्रवृत्ति दी जाती है।

6.कन्या साक्षरता प्रोत्साहन छात्रवृत्ति:

अनु.जाति तथा अनु.जनजाति की बालिकायें जिन्होने कक्षा पांचवी की परीक्षा उत्तीण कर ली हो उन्हे कन्या शिक्षा प्रोत्साहन के उद्देश्य से कक्षा छठवीं में प्रवेश लेने पर रुपये 500 की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

7. अस्वच्छ धंधों में लगे परिवार के बच्चों को विशेष छात्रवृत्ति:

म[illegible]नवरों के चमड़े छीलने/पकाने तथा परंपरागत शुष्क शौचालयों की सफाई में ल[illegible]रिवार के बच्चों को केन्द्र सरकार की विशेष छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत कक्षा पहली से दसवीं तक के विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष रुपये 1100/- छात्रवृत्ति एवं रुपये 750/- अनुदान (कुल रुपये 1850/- प्रतिवर्ष) छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

8. छात्रावास/आश्रम सुविधा:

अपने निवास के 3 की.मी. की दूरी में शिक्षण संस्थान न होने से अन्य संस्था में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को निःशुल्क आवास, पानी, बिजली, भोजनालय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से छात्रावास/आश्रम संचलित है। इन संस्थाओं में निवासित अनु.जाति तथा अनु.जनजाति के प्री मैट्रिक स्तर के बालक/बालिका को रुपये 450/- मासिक शिष्यावृत्ति प्रदान की जाती है। एक वर्ष में यह शिष्यावृत्ति 10 माह हेतु दी जाती है तथा मैट्रिकोत्तर स्तर के विद्यार्थियों को छात्रावासी दर से मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

9. छात्र गृह योजना:

उच्चतर माध्यमिक स्तर एवं महाविद्यालयीन विद्यार्थी जिन्हे छात्रावासों में प्रवेश नही मिल पाया हो उनअनुसूचित /जनजाति विद्यार्थियों के आवास की कठिनाई को ध्यान में रखते हुए यह योजना संचालित की जाती है। इसके अंतर्गत पांच या उससे अधिक विद्यार्थी जिस किराये के मकान में रहते है उनके किराये का भुगतान विभाग द्वारा जाता है एवं इस प्रकार के छात्र गृहों में निवासरत विद्यार्थियों को छात्रावासी दर से मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

10. आगमन भत्ता:

विभाग के मैट्रिकोत्तर छात्रावासों में प्रवेशित विद्यार्थियों को न्यूनतम आवश्यक सामाग्रियां (गद्दा, चादर, थाली, गिलास आदि) के क्रय करने हेतु आगमन भत्ता दिये जाने का प्रावधान है। अध्ययन समाप्ति पर विद्यार्थी उक्त भत्ते से क्रय की गई सामाग्रियों को अपने साथ ले जा सकता है। प्रथम वर्ष हेतु रुपये 800/- द्वितीय वर्ष हेतु रुपये 250/- तृतीय वर्ष रुपये 200/- आगमन भत्ता शासन द्वारा दिये जाने का प्रावधान है।

11. मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम:

प्रायमिक शालाओं /माध्यमिक शालाओं एवं आश्रम शालाओं तथा शासकीय अनुदान प्राप्त शालाओं में विद्यार्थियों को मध्यान्ह भोजन दिया जाता है। प्रतिदिन 100 ग्राम चांवल दिया जाता है, तथा दाल/सब्जी/इंधन हेतु 3.00 रुपये प्रति विद्यार्थी के दर से संस्था में तैयार कर गरम भोजन स्थानीय निकाय अथवा स्व सहायता समूह द्वारा संचालित किया जा रहा है।

12. अशासकीय संस्थाओं को अनुदान:

प्रदेश की ऐसी अशासकीय संस्थायें जो अनु.जाति तथा अनु.जनजाति के विद्यार्थियों के शैक्षणिक उत्थान में लगे हुये है उन्हे विभाग द्वारा शतप्रतिशत् अनुदान दिया जा रहा है।

13. बोर्ड परीक्षा शुल्क की प्रतिपुर्ति:

बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अनु जाति तथा अनु.जनजाति के विद्यार्थियों को लगने वाली बोर्ड परीक्षा शुल्क की शतप्रतिशत प्रतिपुर्ति विभाग द्वारा की जाती है।

14. गणवेश प्रदाय:

प्रदेश के प्राथमिक शालाओं में कक्षा 1 से 5 वीं तक के अध्ययनरत अनु.जाति तथा अ.ज.जा. की बालिकाओं को एक सेट गणवेश का विभाग द्वारा निशुल्क प्रदान किये जाने का प्रावधान है। विशेष पिछड़ी जनजाति के कक्षा पहली से आठवीं तक के बालक/बालिकाओं को गणवेश दिया जाता है।

15. जवाहर आदिम जाति उत्कर्ष योजना:

अनु. जाति /जनजाति के प्रतिभावन छात्र-छात्राओं को शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने हेतु उत्कृष्ठ आवासीय शिक्षण संस्थाओं (शासकीय एवं निजी) में प्रवेश दिलाकर प्रतिस्पद्धात्मक बनाना। इस योजना के तहत 5 वीं एवं 10 वीं बोर्ड परीक्षा में जिले में क्रमशः न्यूनतम 85% तथा 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी पात्र होंगे। इसके तहत विद्यार्थियों को संस्था से स्कूल में देय शुल्क की प्रतिपुर्ति विभाग द्वारा वहन किया जावेगा।

16. मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना:

यह योजना वर्ष 2007-2008 से लागू की गई है, इसके अंतर्गत छ.ग.मा. शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित कक्षा 10 वीं एवं 12 वीं बोर्ड परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले अनु. जाति /जनजाति के विद्यार्थियों को मा. शिक्षा मंडल द्वारा जारी प्राविण्य सूची के आधार पर 10000/- का पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र दिया

17. सरस्वती सायकल योजना:

आदिवासी क्षेत्रों के भगौलिक स्थित नदी, पहाड़, ग्रामों से स्कूल की दूरी एवं विरल जनसंख्या के कारण छात्राओं की शिक्षा बाधित होती है। प्रवेशित छात्राओं को आठवीं के पश्चात हाई स्कूल शिक्षा ग्रहण करने के लिये अनु.जाति एवं अनु.जनजाति की कन्या जो 9 वीं में प्रवेशित है, उन्हे निशुल्क सायकल विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है। वर्ष 2006-07 से विशेष पिछड़ी जनजाति के बालकों को भी सायकल दिया जा रहा है। साथ ही पिछड़ा वर्ग, बी.पी.एल. छात्राओं को भी सायकल प्रदाय की जाती है।

18. स्वस्थ तन - स्वस्थ मन:

छात्रावास-आश्रमों में निवास करने वाल छात्र-छात्राओं के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण हेतु यह योजना वर्ष 2007-08 से लागू की गई है। इसके अंतर्गत चिकित्सा सुविधा विहीन क्षेत्रों में संचालित छात्रावास-आश्रम में निवासरत छात्र-छात्राओं का माह में दो बार स्वास्थ्य परीक्षण योग्यता प्राप्त चिकित्सक द्वारा किया जाता है।

19. विशेष कोचिंग केन्द्र योजना:

दुरस्थ आदिवासी क्षेत्रो में शिक्षकों का अभाव बना रहता है। इसके कारण छात्रावास आश्रमों में निवासरत विद्यार्थी कठिन विषयों में कमजोर रह जाते हैं। इस योजना का उद्देश्य अनु.जाति तथा अनु.जनजाति छात्रावासों में निवासरत विद्यार्थियों को विशेष शिक्षक के माध्यम से कठिन विषयों के परीक्षा परिणाम पर गुणात्मक सुधार के साथ प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने योग्य बनाना है।

20. छात्र भोजन सहाय योजना:

इसके तहत कक्षा 11 वीं एवं आगे की कक्षाओं में अध्ययनरत छात्रावासी विद्यार्थियों को केन्द्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति दी जाती है। जिसकी दरें पर्याप्त नही होने के कारण छात्रावासों में भोजन व्यवस्था हेतु अपने घर से धनराशि की व्यवस्था करनी पड़ती है। शिक्षा की इस स्तर पर छात्र-छात्राओं को विशेष पोषण आहार की भी आवश्यकता होती है, इसकी प्रतिपुर्ति हेतु पूरक रुप में सहायता देना जिससे छात्र-छात्राओं का अध्ययन प्रभावित न हो। इसके अंतर्गत प्रतिमाह 200/- रु. सहायता दी जाती है।

21. एयर होस्टेस एवं पायलट प्रशिक्षण:

एयर होस्टेस प्रशिक्षण योजनांतर्गत वर्ष 2008-09 में 19 अनुसूचित जाति के छात्राओं को फ्रेंकलिन एयर होस्टेस प्रशिक्षण संस्था, रायपुर में विभाग द्वारा निःशुल्क प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है, प्रशिक्षण फीस की प्रतिपूर्ति हेतु संस्था को 14,05,050/- भुगतान किया गया है।

आदिवासी संस्कृति का संरक्षण एवं विकास

1. देवगुडी विकास योजना –

अनु.जनजाति बाहुल्य ग्रामों में स्थित देवस्थल के विकास हेतु इस योजना में प्रत्येक ग्राम को 25000/– रूपये की राशि प्रदाय की जाती है ।

2. आदिवासी सांस्कृतिक दलों को सहायता योजना –

इस योजना के तहत आदिवासी संस्कृति को अक्षुण्य बनाये रहने हेतु उनके पारंपरिक संस्कृति के परीक्षण विकास हेतु सांस्कृतिक दलों को आवश्यक सामाग्रियों की व्यवस्था हेतु सहायता दिया जाता है । इसके हत दलों को रूपये 10000/– रूपये मात्र संहायता देने का प्रावधान है, जिसके तहत प्रत्येक विकासखंड से अधिकतम पांच दलों को सहायता दिया जाना है ।

लोक कला महोत्सव

1. शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति आदिवासी लोककला महोत्सव –

प्रति वर्ष 10 दिसम्बर को आदिवासी लोककला महोत्सव का आयोजन शहीद वीर नारायण सिंह की जन्म स्थली सोनाखान में किया जाता है उसमें आदिवासी लोक नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन कर उत्कृष्ठ दलों को पुरस्कृत किया जाता है ।

2. गुरू घासीदास लोक कला महोत्सव –

अनुसूचित जाति लोक नृत्य जैसे पंथी, चौका आदि का आयोजन कर उत्कृष्ट दलों को पुरूष्कृत किया जाता है इसका आयोजन प्रतिवर्ष 18 दिसम्बर 31 दिसम्बर में मध्य किया जाता है ।

विभाग के अंतर्गत संचालित प्राधिकरण

1. अनुसूचितजाति विकास प्राधिकरण –

रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, धमतरी, कवर्धा, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा एवं जांजगीर मिलों को मिलाकर अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है, इसके माध्यम से अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों के विकास के लिए योजनायें संचालित की जा रही है ।

2. बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र विकास प्राधिकरण –

उत्तर बस्तर, कांकेर, दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा, जगदलपुर एवं एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना क्षेत्र नगरी, गरियाबंद, डौंडी एवं राजनांदगांव को मिलाकर गठन किया गया है । इसके माध्यम से स्थानीय विकास के कार्य सुगमता से स्वीकृत किये जा रहे हैं ।

3. भुंजिया एवं विकास प्राधिकरण –

भुंजिया एवं कमार जनजाति के विकास हेतु पृथक से बजट प्रावधान रखकर विकास की योजनायें संचालित की जाती है ।

कलेक्टर
रायपुर

सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास रायपुर

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग (छ.ग.)

विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के लिए संचालित कल्याणकारी योजनाऐं

कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) रायपुर
(प्रचार प्रसार हेतु)

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाएँ

(अ) शैक्षणिक विकास की योजनाएँ :-

1. राज्य छात्रवृत्ति

कक्षा 6वीं से 10वीं तक की कक्षाओं में अध्ययनरत् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग विद्यार्थियों को शिक्षण वर्ष के माह जून से मार्च तक 10 माह हेतु निम्नांकित दरों पर राज्य छात्रवृत्ति दी जाती है ।

	अनुसूचित जाति एवं जनजाति		पिछड़ा वर्ग	
कक्षा	**बालक**	**बालिका**	**बालक**	**बालिका**
कक्षा 6वीं से 8वीं	30/–प्रतिमाह	40/–प्रतिमाह	15/–प्रतिमाह	30/–प्रतिमाह
कक्षा 9वीं से 10वीं	40/–प्रतिमाह	50/–प्रतिमाह	22.50/–प्रतिमाह	30/–प्रतिमाह

इसके अतिरिक्त कक्षा तीसरी से पांचवी कक्षाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/जनजाति बालिकाओं को एक शैक्षणिक वर्ष के 10 माह हेतु रू.25/– मासिक (कुल रूपये 250 छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है) ।

अनुसूचित जाति/अजजा के विद्यार्थियों को दी जाने वाली राज्य छात्रवृत्ति के लिए कोई आय सीमा निर्धारित नहीं है । पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को जिनके पालक आयकर दाता ना हो या जिनके पास 10 एकड़ से कम कृषि भूमि हो उन्हें राज्य छात्रवृत्ति की पात्रता है ।

2. मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति :-

अनु.जाति एवं जनजाति के कक्षा 11वीं एवं 12वीं एवं उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्रों को जिनके पालकों की वार्षिक आय 100000/– तक होने पर मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है । पिछड़ा वर्ग के ऐसे विद्यार्थी जिनके पालक की वार्षि आय 9000/– तक हो उन्हें पूरी एवं जिनकी वार्षिक आय रूपये 9001/–से 25000/– तक हो उन्हें आधी छात्रवृत्ति की पात्रता होगी ।

अनु.जाति एवं जनजातियों के विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति

क्र.	समूह कक्षा	गैर छात्रावासी	छात्रावासी
1.	चिकित्सा/इंजीनियरिंग/बी.एस.सी.(कृषि)	550.00 प्रतिमाह	1200.00 प्रतिमाह
2.	बी.पी.एड./एम.पी.एड., बी.बी.एस.सी.	530.00 प्रतिमाह	820.00 प्रतिमाह
3.	पालिटेकनिक(प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष) एम.ए., एम.कॉम.,बी.एस.सी., बी.एच.एस.सी. और एल.एल.बी.(प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष)	530.00 प्रतिमाह	820.00 प्रतिमाह
4.	बी.ए., बी.कॉम., बी एस.सी., बी.एच.एस.सी. (प्रथम वर्ष) 11वीं, 12वीं (10+2)	230.00 प्रतिमाह	380.00 प्रतिमाह
5.	बी.ए., बी.कॉम., बी.एस.सी., (द्वितीय एवं तृतीय वर्ष)	300.00 प्रतिमाह	570.00 प्रतिमाह

इसके अतिरिक्त व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेशित अनु.जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों को जिनके पालक की वार्षिक आय निम्नानुसार हो :-

रूपये 100000/– से 200000/– छात्रवृत्ति एवं फीस
रूपये 200000/– से 250000/– तक केवल आधी फीस

3. पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति :-

			रू.प्र.मा.	रू.प्र.मा.	रू.प्र.मा.	रू.प्र.मा.
01	मेडिकल तथा इंजीनियर	प्रथम द्वितीय व तृतीय वर्ष	105	100 115	110 210	220 225
	बी.व्ही.एस.वी.एस.सी.कृषि	प्रथम द्वितीय व तृतीय वर्ष	100 105	110 115	185 185	195 200
02	डिप्लोमा कोर्सेस इंजीनियरिंग मेडिकल कालेज टेक्नोलॉजी तथा पोस्ट ग्रेजयुट इन आर्टस एंड कामर्स	प्रथम द्वितीय व तृतीय वर्ष	100 105	110 115	125 130	135 145
03	सर्टिफिकेट कोर्सेस इंजीनियरिंग मेडिकल कालेज टेक्नोलॉजी तथा पोस्ट ग्रेजयुट इन आर्टस एंड कामर्स	प्रथम द्वतीय व तृतीय वर्ष	100 105	110 115	125 130	135 145
04	जनरल अप टू ग्रेजवेट लेबल के बाद	प्रथम द्वितीय तृतीय वर्ष	55 70	70 85	100 115	110 130
05	कक्षा 11वीं से 12वीं	कक्षा 11वीं 12वीं	50 55	60 70	100 100	110 110

4. अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित छात्र/छात्राओं के लिये छात्रवृत्ति

अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को छात्रवृत्ति की केन्द्र प्रायोजित योजना 1–4–2008 से प्रभावी है । इस योजना के तहत प्री.मै., पो.मै., एवं मेरिट सह साधान आधारित योजना संचालित है । इस योजना के तहत मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध एवं पारसी समुदाय के छात्र/छात्रा लाभान्वित होंगे :-

प्री.मैट्रिक छात्रवृत्ति :-

यह छात्रवृत्ति कक्षा 01 से 10 तक के उन छात्र/छात्राओं को दी जाती है । जिनके माता–पिता/अभिभावक की सभी स्त्रोंतों से वार्षिक आय 1,00,000/–(एक लाख) से ज्यादा न हो एवं पिछली परीक्षा में 50प्रतिशत से कम अंक प्राप्त न किये हो । छात्रवृत्ति पूरे पाठ्यक्रम के लिए प्रदान की जाएगी. अनुरक्षण भत्ता एक शैक्षणिक वर्ष 10 माह की अवधि के लिए दिया जाएगा । विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	मद	हॉस्टलवासी	दिवास्कॉलर
1.	कक्षा 6 से 10 के लिये प्रवेश शुल्क	वास्तविक या 500 रू. प्रतिवर्ष	वास्तविक या 500 रू. प्रतिवर्ष
2.	कक्षा 6 से 10 के लिये शिक्षक शुल्क	वास्तविक या 350 रू. प्रतिवर्ष	वास्तविक या 350 रू. प्रतिवर्ष
3.	एक शैक्षिक वर्ष में केवल 10 माह के लिये ही अनुरक्षक भत्ता प्रदान किया जायेगा	वास्तविक या 350 रू. प्रतिवर्ष	वास्तविक या 350 रू. प्रतिवर्ष
4.	कक्षा 1 से 5 कक्षा 6 से 10	शून्य वास्तविक या 600 रू. प्रतिवर्ष	10 रू. प्रतिमाह 100 रू. प्रतिमाह

पो.मै.छात्रवृत्ति :-

यह छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक समुदाय के आर्थिक रूप से कमजोर निर्धारित छात्रों को प्रदान की जाती है । यह कक्षा 11 एवं 12 स्तर के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र में तकनीकी एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रम को कवर करेंगी, जो राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद से संबंधित है । इस छात्रवृत्ति पिछली परीक्षा में 50 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राएँ जिनके माता/पिता/अभिभावक की सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय 2,00,000/- (दो लाख) रूपये से अधिक न हो पात्र होते हैं । छात्रवृत्ति पूरे पाठ्यक्रम के लिए प्रदान की जाएगी, अनुरक्षण भत्ता एक शैक्षणिक वर्ष 10 माह की अवधि के लिए दिया जाएगा छात्रवृत्ति की दर निम्नानुसार है –

छात्रवृत्ति की दर

क्र.	मद	हॉस्टलवासी	दिवास्कॉलर
1.	कक्षा 11 से 12 के लिये दाखिला प्रवेश शुल्क	वास्तविक अधिकतम 7000 रू. प्रतिवर्ष	वास्तविक अधिकतम 7000 रू. प्रतिवर्ष
2.	कक्षा 11 से 12 के स्तर के तकनीकी तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रम । शिक्षक शुल्क (कार्यो माल आदि के लिये लिया जमा शुल्क/प्रकार सहित	वास्तविक अधिकतम 10000 रू. प्रतिवर्ष	वास्तविक अधिकतम 10000 रू. प्रतिवर्ष
3.	अंडर ग्रेज्युएट और पोस्ट ग्रेज्युएट के लिये दाखिला तथा शिक्षक शुल्क एक शैक्षिक वर्ष में केवल 10 माह के लिये अकरक्षक भत्ता(अध्ययन सामाग्री आदि के लिये खर्च शामिल)	वास्तविक अधिकतम 3000 रू. प्रतिवर्ष	वास्तविक अधिकतम 3000 रू. प्रतिवर्ष
4.	(1) कक्षा 11 और 12 और इन स्तर के उद्यानिकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों सहित	235 रू. प्रतिमाह	185 रू. प्रतिमाह
5.	एम.फिल और पी.एच.डी. (यह उन शोधकर्ताओं के लिये है जिन्हें विश्वविद्यालय या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा कोई फेलोशिप प्रदान नहीं की जाती है ।)	510 रू. प्रतिमाह	330 रू. प्रतिमाह

मेरिट सह साधन आधारित छात्रवृत्ति

छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक वर्ग के स्नातक पूर्व तथा स्नातकोत्तर स्तर पर तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में भारत के अंदर स्थित शैक्षणिक संस्थानों तथा भारत सरकार द्वारा सूचित संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को दी जाती है ।

क्र.	विवरण	छात्रावास	दिवास्कॉलर
1.	अनुरक्षण भत्ता (10 माह हेतु) से कुल रू. 10,000/-	रू. 1000/- प्रतिमाह दर से कुल रू. 10,000/-	रू. 500/- प्रतिमाह दर से कुल रू. 5,000/-
2.	पाठ्यक्रम शुल्क वास्तविक जो भी कम हो	रू. 20,000/- प्रतिवर्ष या वास्तविक जो भी कम हो	रू. 20,000/- प्रतिवर्ष या
	योग :-	30,000/-	25,000/-

पात्रता :- (1) यह छात्रवृत्ति उन विद्यार्थियों को दी जावेगी जिनका चयन मान्यता प्राप्त तकनीकी/व्यवसायिक संस्थाओं की प्रवेश परीक्षा में प्रवीण्य के आधार पर हुआ है ।
(2) यदि विद्यार्थी का प्रवेश बिना प्रतियोगी परीक्षा के हुआ है, तो वे भी छात्रवृत्ति पाने के योग्य होंगे, बशर्ते उनका हायर सेकेण्डरी/स्नातक परीक्ष में न्यूनतम अंक 50 प्रतिशत हो ।
(3) पालक की सभी स्त्रोतों से आय रूपये 2.50 लाख वार्षिक से अधिक न हो ।

चयन :- (1) निर्धनता सह प्रवीण्यता के आधार पर चयन किया जावेगा ।
(2) कुल देय छात्रवृत्तियों का न्यूनतम 30 प्रतिशत छात्राओं को देय होगा परंतु वांछित संख्या तक छात्राओं के आवेदन पत्र प्राप्त न होने पर उक्त छात्रवृत्ति छात्रों को दी जा सकेगी ।

उपबंध :- (1) इंटर्नशिप या हाउसमैनशिप की अवधि में यह छात्रवृत्ति देय नही होगी ।
(2) छात्रवृत्ति केवल एक स्त्रोत या योजनान्तर्गत देयह होगी ।
(3) किसी भी तरह के त्रुटिपूर्ण/फर्जी जानकारी दिया जाना पाये जाने पर, छात्रवृत्ति निरस्त की जावेगी ।

प्रावीण्य छात्रवृत्ति :-

कक्षा पांचवी, आठवीं की बोर्ड परीक्षाओं में उत्तीर्ण अनु.जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों को जिले से प्राप्त प्रवीण्य सूची के अनुसार जिले के लिये निर्धारित लक्ष्य एवं प्रवीण्यता के आधार पर कक्षा छठवीं से आठवीं तक 400 रूपये वार्षिक तथा नवमीं से दसवीं तक 500 रूपये वार्षिक प्रवीण्य छात्रवृत्ति दी जाती है ।

6. कन्या साक्षरता प्रोत्साहन छात्रवृत्ति :-

अनु.जाति तथा अनु.जनजाति की बालिकायें जिन्होंने कक्षा पांचवी की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो उन्हें कन्या शिक्षा प्रोत्साहन के उद्देश्य से कक्षा छठवीं में प्रवेश लेने पर रूपये 500 की प्रोत्साहन राशि दी जाती है ।

7. अस्वच्छ धंधें मे लगे परिवार के बच्चों को विशष छात्रवृत्ति :-

मृत जानवरों के चमड़े छीलने /पकाने तथा परंपरागत शुष्क शौचालयों की सफाई में लगे परिवार के बच्चों को केन्द्र सरकार की विशेष छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है । इस योजना के अंतर्गत कक्षा पहली से दसवीं तक के विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष रूपये 1100/– छात्रवृत्ति एवं रूपये 750/– अनुदान (कुल रूपये 1850/– प्रतिवर्ष) छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है ।

8. छात्रावास/आश्रम सुविधा :-

अपने निवास के 3 कि.मी. की दूरी में शिक्षण संस्थान न होने से अन्य संस्था में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को नि:शुल्क आवास, पानी, बिजली, भोजनालय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से छात्रावास/आश्रम संचालित है । इन संस्थाओ में निवासित अनु.जाति तथा अनु.जनजाति के प्री.मैट्रिक स्तर के बालक/बालिका को रूपये 650/– मासिक शिष्यवृत्ति प्रदान की जाती है । एक वर्ष में यह शिष्यावृत्ति 10 माह हेतु दी जाती है तथा मैट्रिकोत्तर स्तर के विद्यार्थियों को छात्रावासी की दर से मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है ।

9. छात्र गृह योजना :-

उच्चतर माध्यमिक स्तर एवं महाविद्यालयीन विद्यार्थी जिन्हें छात्रावासों में प्रवेश नही मिल पाया हो उन विद्यार्थियों के आवास की कठिनाई को ध्यान में रखते हुए यह योजना संचालित की जाती है । इसके अंतर्गत पांच या उससे अधिक अनु.जाति/अनु.जनजाति विद्यार्थी जिस किराये के मकान में रहते है उनके किराये का भुगतान विभाग द्वारा जाता है एवं इस प्रकार के छात्र गृहों में निवासित विद्यार्थियों को छात्रावासी दर से मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है ।

10. आगमन भत्ता :-

विभाग के मैट्रिकोत्तर छात्रावासों में प्रवेशित विद्यार्थियों को न्यूनतम आवश्यक सामाग्रियों (गद्दा, चादर, थाली, गिलास आदि) के क्रय करने हेतु आगमन भत्ता दिये जाने का प्रावधान है । अध्ययन समाप्ति पर विद्यार्थी उक्त भत्ते से क्रय की गई सामाग्रियों को अपने साथ ले जा सकता है । प्रथम वर्ष हेतु रूपये 800/– द्वितीय वर्ष हेतु रूपये 250/– तृतीय वर्ष रूपये 200/– आगमन भत्ता शासन द्वारा दिया जाने का प्रावधान है ।

11. मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम :-

प्राथमिक शालाओं/माध्यमिक शालाओं एवं आश्रम शालाओं तथा शासकीय अनुदान प्राप्त शालाओं में विद्यार्थियों को मध्यान्ह भोजन दिया जाता है । प्रतिदिन 100 ग्राम चांवल दिया जाता है, तथा दाल/सब्जी/ईंधन हेतु 3.00 मा.शा. एवं 2.70 प्रा.शा. रूपये प्रति विद्यार्थी के दर से दिया जाता है । संस्था में तैयार कर गरम भोजन स्थानीय निकाय अथवा स्व सहायता समूह द्वारा संचालित किया जा रहा है ।

12. अशासकीय संस्थाओं को अनुदान :-

प्रदेश की ऐसी अशासकीय संस्थायें जो अनु.जाति तथा अनु.जनजाति के विद्यार्थियों के शैक्षणिक उत्थान में लगे हुये हैं उन्हें विभाग द्वारा शत् प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है ।

13. बोर्ड शुल्क की प्रतिपूर्ति :-

माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अनु.जाति तथा अनु.जनजाति के विद्यार्थियों को लगने वाली बोर्ड परीक्षा शुल्क की शत् प्रतिशत प्रतिपूर्ति विभाग द्वारा दी जाती है ।

14. गणवेश प्रदाय :-

प्रदेश के प्राथमिक शालाओं में कक्षा 1 से 5वीं तक के अध्ययनरत अनु.जाति तथा अनु.जनजाति की बालिकाओं को एक सेट गणवेश का विभाग द्वारा नि:शुल्क प्रदान किये जाने का प्रावधान है । विशेष पिछड़ी जनजाति के कक्षा 1 से 8वीं तक के बालक/बालिकाओं को गणवेश दिया जाता है ।

15. जवाहर आदिम जाति उत्कर्ष योजना :-

अनु.जाति/जनजाति के प्रतिभावान छात्र–छात्राओं को शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने हेतु उत्कृष्ट आवासीय शिक्षण संस्थाओं (शासकीय एवं निजी) में प्रवेश दिलाकर प्रतिस्पर्द्धात्मक बनाना । इस योजना के तहत 5 वीं एवं 10वीं बोर्ड परीक्षा में जिले में क्रमश: न्यूनतम 85प्रतिशत तथा 80प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी पात्र होंगे । इसके तहत विद्यार्थियों को संस्था से स्कूल में देय शुल्क की प्रतिपूर्ति विभाग द्वारा वहन किया जावेगा ।

16. मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना :-

यह योजना वर्ष 2007–2008 से लागू की गई है, इसके अंतर्गत छ.ग.मा.शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले अनु.जाति/जनजाति के विद्यार्थियों को मा.शिक्षा मंडल द्वारा जारी प्रवीण्य सूची के आधार पर 10000/– का पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र दिया जाता है ।

17. सरस्वती सायकल योजना :-

आदिवासी क्षेत्रों के भौगोलिक स्थित नदी, पहाड़ ग्रामों से स्कूल की दूरी एवं बिरल जनसंख्या के कारण छात्राओं की शिक्षा बाधित होती है । प्रवेशित छात्राओं को आठवीं के पश्चात् हाईस्कूल शिक्षा ग्रहण करने के लिये अनु.जाति एवं अनु.जनजाति की कन्याओं जो 9वीं में प्रवेशित है, उन्हें नि:शुल्क सायकल विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है । वर्ष 2006–07 से विशेष पिछड़ी जनजाति के बालकों को भी सायकल दिया जा रहा है । इसके साथ ही बी.पी.एल. के छात्राओं को भी सायकल प्रदान किया जाता है ।

18. स्वस्थ तन स्वस्थ मन :-

छात्रावास/आश्रमों में निवास करने वाले छात्र/छात्राओं के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण हेतु यह योजना वर्ष 2007–08 से लागू की गई है । इसके अंतर्गत चिकित्सा सुविधा विहीन क्षेत्रों में संचालित छात्रावास–आश्रम में निवासरत छात्र–छात्राओं का माह में दो बार स्वाथ्य परीक्षण योग्यता प्राप्त चिकित्सक द्वारा किया जाता है ।

19. विशेष कोचिंग केन्द्र योजना :-

दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षकों का आभाव बना रहता है । इसके कारण छात्रावास आश्रमों में निवासरत विद्यार्थी कठिन विषयों में कमजोर रह जाते हैं । इस योजना का उद्देश्य अनु.जाति तथा अनु.जनजाति छात्रावासों में निवासरत विद्यार्थियों को विशेष शिक्षक के माध्यम से कठिन विषयों के परीक्षा परिणाम पर गुणात्मक सुधार के साथ प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने योग्य बनाना है ।

20. छात्र भोजन सहाय योजना :-

इसके तहत कक्षा 11वीं एवं आगे की कक्षाओं में अध्ययनरत छात्रावासी विद्यार्थियों को केन्द्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति दी जाती है। जिसकी दरें पर्याप्त नहीं होने के कारण छात्रावासों में भोजन व्यवस्था हेतु अपने घर से धनराशि की व्यवस्था करनी पड़ती है। शिक्षा की इस स्तर पर छात्र-छात्राओं को विशेष पोषण आहार की भी आवश्यकता होती है, इसकी प्रतिपूर्ति हेतु पूरक रूप में सहायता देना जिससे छात्र-छात्राओं का अध्ययन प्रभावित न हो। इसके अंतर्गत प्रतिमाह 200/-रू. सहायता दी जाती है।

21. एयर होस्टेस एवं पायलट प्रशिक्षण :-

एयर होस्टेज प्रशिक्षण योजनांतर्गत वर्ष 2008-09 में 19 अनुसूचित जति एवं अनु.ज.जाति की छात्राओं को फ्रेंकलिन एयर होस्टेज प्रशिक्षण संस्था रायपुर में विभाग द्वारा नि[illegible]क प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है।

22. आदर्श शाला पुरस्कार योजना :

इस योजना का उद्देश्य हाईस्कूल/उ.मा.वि. में स्वच्छ शैक्षणिक प्रतिस्पर्धा उत्पन्न कराना है। इसके तहत प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ तीन शालाओं को शैक्षणिक वर्ष में किये गये उपलब्धियों हेतु पुरस्कृत किया जाता है। जिसमें प्रथम पु. 3,00,000/-, द्वितीय पु. 2,00,000/-, तृतीय पु. 1,00,000/- नगद दिया जाता है।

23. आदर्श शिक्षक पुरस्कार :

इस योजना का उद्देश्य स्कूल शिक्षा विभाग एवं आदिवासी विकास विभाग द्वारा संचालित शालाओं के शिक्षकों द्वारा उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम देने/अनुशासन नियमितता एवं आदिवासी शिक्षा के विकास में उच्च प्रतिमान स्थापित करने के आधार पर आदर्श शिक्षक का चयन कर प्रोत्साहन स्वरूप किया जाना है। योजनांतर्गत चयनित शिक्षकों को शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में निर्धारित पुरस्कार राशि एवं प्रशस्ती पत्र प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार जिला एवं राज्य स्तर पर दिया जाता है।

24. कम्प्युटर प्रशिक्षण योजना :

इस योजना का उद्देश्य अनु.जनजाति वर्ग के छात्रावास/आश्रम में अध्ययनरत् विद्यार्थियों को कम्प्युटर फ्रेण्डली बनाना है, जिससे वे कम्प्युटर आधारित शिक्षण एवं कार्य में दक्ष हो सके, जिसमें कक्षा 6वीं से 12वीं एवं उक्त कक्षाओं के विद्यार्थी पात्र होंगे। इस प्रशिक्षण की अवधि 6 माह की होगी एवं प्रशिक्षण निःशुल्क होगा।

25. विभागीय शिक्षण संस्थाएँ :-

विभाग द्वारा निम्नलिखित शैक्षणिक संस्थाओं एवं छात्रावास - आश्रम शाला का संचालन किया जा रहा है :-

संस्था का विवरण

क्र.	वि.ख.	प्रा.शा.	मा.शा.	हाई स्कूल	उ.मा.वि.	क्रीडापरि.	प्री.मैं.छा	पो.मै.छा.	आश्रम शा.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	गरियाबंद	213	102	10	09	01	10	02	11
2	छुरा	249	105	14	14	--	12	02	07
3	मैनपुर	311	122	09	10	–	09	02	10
4	अभनपुर	–	–	–	–	–	06	–	–
5	आरंग	–	–	–	–	–	04	01	01
6	बलौदाबाजार	–	–	–	–	–	12	03	–
7	भाटापारा	–	–	–	–	–	08	02	–
[illegible]	बिलाईगढ़	–	–	–	–	–	20	02	02
9	धरसींवा	–	–	–	–	–	07	18	01
10	देवभोग	–	–	–	–	–	03	–	–
11	फिंगेश्वर	–	–	–	–	–	07	–	–
12	कसडोल	–	–	–	–	–	19	02	05
13	पलारी	–	–	–	–	--	02	02	02
14	सिमगा	–	–	–	–	–	07	01	–
15	तिल्दा	–	–	–	–	--	06	–	–
	कुल योग	**773**	**329**	**33**	**33**	**01**	**132**	**37**	**39**

26. अनुसूचित जाति/जनजाति युवाओं को निःशुल्क वाहन चालक प्रशिक्षण योजना 2008 :-

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के युवकों को निःशुल्क वाहन चालक प्रशिक्षण योजना के तहत वर्ष 2011-12 में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 30 सीट एवं अनुसूचित जाति के लिए 20 सीट का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योजना के तहत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में प्रशिक्षण दिये जाने का प्रावधान है, इन्हें वाहन चालक - सह मैकेनिक का भी प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रशिक्षण पर होने वाला व्यय एवं व्यवसायिक लाइसेंस का निर्धारित शुल्क वि[illegible]ग द्वारा वहन किये जाने का प्रावधान है, प्रशिक्षण छः माह का होगा।

प्रशिक्षणार्थियों को भोजन की व्यवस्था हेतु 500/- शिष्यवृत्ति कम से कम 90 प्रतिशत उपस्थित होने पर ही देय होगी। प्रशिक्षणार्थियों के रहने के लिए छात्र गृह योजना की भांति जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित मकान के किराये का भुगतान विभाग के द्वारा मकान मालिक को किया जायेगा। इसके अलावा बिजली एवं जल व्यवस्था के लिए विभाग द्वारा भुगतान किया जायेगा।

प्राप्त आवेदन पत्रों के परीक्षाणोपरांत कक्षा आठवीं के प्राप्तांक के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार कर प्रशिक्षणार्थियों का चयन किया जायेगा।

27. सामाजिक व आर्थिक सहायता की योजनाएँ :

1. सामाजिक व आर्थिक सहायता की योजनाएँ :-

अनु. जाति तथा अनु.जनजाति के लोगो को स्वर्ण द्वारा उत्पीड़न हत्या, बलात्कार, अपमानित करने शारीरिक आघात पहुंचाने, संपत्ति को हानि पहुंचाने आदि के मामले में विभाग द्वारा पीड़ितों को तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है । विभिन्न प्रकरणों में राशि की सीमा 25000/– से 200000/– तक है साथ ही उत्पीड़ित व्यक्ति एवं उसके परिवार को पेयजल, कृषि, भूमि, बच्चों की शिक्षा सामाजिक पुनर्वास स्वरोजगार, विकलांगों को कृत्रिम अंग आदि हेतु सहायता उपलब्ध कराई जाती है ।

2. राहत योजना :-

इस योजना के तहत साधनहीन कन्याओं के विवाह हेतु रूपये 1500/– एवं ऐसी कन्या जिनके माँ–बाप ना हो उसके विवाह हेतु 3000/– की आर्थिक सहायता दी जाती है साथ ही अ[illegible] दुर्घटना अति संकटपन्न स्थिति में प्रकरण की परिस्थिति के अनुरूप अधिकतम रूपये 2000/– तक की अर्थिक सहायता प्रदान की जाती है ।

3. नाई पेटी योजना :-

इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में परम्परागत बाल काटने के व्यवसाय में लगे लोगों को प्रोत्साहित कर स्थानीय स्तर पर रोजगार सुनिश्चित कर शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन रोकना, इसके तहत पेटी एवं बाल कटिंग से संबंधित आवश्यक औजार एवं अन्य सामग्रियों चयनित हितग्राहियों को निःशुल्क प्रदान करने का प्रावधान है ।

4. सद्भावना शिविरका आयोजन :-

अस्पृश्यता निवारण हेतु सभी वर्गो के लोगों के बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण के निर्माण के उद्देश्य से अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र में प्रति वर्ष सद्भावना शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसमें वर्ण भेद रहित सामूहिक भोज, वाद–विवाद प्रतियोगिता आदि का कार्यक्रम किया जाता है ।

5. अन्तर्जातीय विवाह :-

किसी स्वर्ण हिन्दु युवक/युवती का अनुसूचित जाति के युवक/युवती से विवाह करने पर ऐसे आदर्श प्रस्तुत करने वाले दम्पत्ति को पूर्व 6000/– नगद एवं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किये जाने का प्रावधान था, जिसे छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आदेश दिनांक 28–08–2009 द्वारा बढ़[illegible]र 25000/– किया गया है तथा दिनांक 6–7–2011 से वृद्धि कर 50,000/– रूपये किया [illegible]ा है ।

6. रविदास चर्म शिल्प योजना :-

इस योजना के तहत परंपरागत चर्मशिल्प/मरम्मत/पालिश व्यवसाय में लगे अनुसूचित जाति के लोगो को स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार हेतु सहायता उपलब्ध कराई जाती है ।

ऐसे व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें पेटी निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है, जिससे चर्मशिल्प/मरम्मत/पालिश से संबंधित कार्य हेतु उपयोगी हो सकें । हितग्राहियों का चयन ग्रामीण क्षेत्रों सभा एवं शहरी क्षेत्र में नगरीय निकाय द्वारा किया जाता है । चयनित हितग्राहियों की सूची जनपद/नगरीय निकाय के माध्यम से सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास को भेजी जाती है । चयनित हितग्राहियों को मात्र एक ही बार पेटी प्रदान की जाती है ।

क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम

1. स्थानीय विकास कार्यक्रम :

योजनांतर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता के मद में प्राप्त राशि परियोजना मंडल की सलाह एवं स्वीकृति से जिले की आदिवासी उपयोजना क्षेत्र एवं माड़ा पॉकेट क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप प्राथमिकता के आधार पर पेय जल सुविधा, पहुंच मार्गों, पुल पुलियों, रपटों का निर्माण शिक्षा संस्था भवनों में अतिरिक्त कमरों का निर्माण, चिकित्सक आवास गृह आदि के निर्माण कार्य संपन्न कराये जाते है, तथा इस राशि से परिवार मूलक कार्य भी किये जाते हैं ।

2. क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम :

जिले के 80 प्रतिशत से अधिक अनु.जाति बाहुल्य ग्रामों, टोलो में मूलभूत आवश्यक सुविधायें उपलब्ध करने के उद्देश्य से शासन से प्राप्त अनाबद्ध राशि से स्थानीय जरूरत एवं प्राथमिकता के आधार पर पेय जल सुविधा, नाली, खरंजा निर्माण, प्राथमिक शाला भवनों का निर्माण, छात्रावासों/आश्रमों को न्यूनतम आवश्यक सामाग्रियों का प्रदान सामुहिक सिंचाई आदि कार्य जनपद पंचायतो के माध्यम से कराये जाते हैं ।

3. सामुदायिक मंगल भवन योजना :

इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति ग्रामों में निवासरत अनु.जाति वर्ग के लोगों के सांस्कृतिक सामाजिक कार्यो को संपन्न करने एवं सामाजिक समरसता में वृद्धि करने हेतु मंगल भवनों का निर्माण किया जाता है ।

4. विभागीय संस्थाओं के लिये भवनों का निर्माण :

योजनांतर्गत भवन विहीन छात्रावासों/उच्चतर माध्यमिक शालाओं, हाई स्कूलों के लिये भवनों का निर्माण एवं साधारण मरम्मत के कार्य एवं अन्य निर्माण कार्य एजेन्सीयों के माध्यम से कराये जाते हैं ।

5. [illegible]तखाम निर्माण :

महान संत गुरू घासीदास जी का जन्म स्थली गिरौदपुरी में कुतुब मीनार से भी ऊंचा जेतखाम का निर्माण कराया जा रहा है ।

6. युवा कैरियर निर्माण योजना :

अनु. जनजाति एवं अनु.जाति वर्ग के स्नातकों को संघ एवं राज्य लोक आयोग की परीक्षा की तैयारी हेतु विशेष कोचिंग प्रदान करने के लिये प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थान, का चयन करके रायपुर एवं बिलासपुर में प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है । इस प्रक्रिया से पिछड़ा वर्ग के लोग भी लाभान्वित होंग ।

आदिवासी संस्कृति का संरक्षण एवं विकास

1. देवगुडी विकास योजना–

अनु .जनजाति बाहुल्य ग्रामों में स्थित देवस्थल के विकास हेतु इस योजना में प्रत्येंक ग्राम को 25000/–रूपये की राशि प्रदाय की जाती है। इस योजना में 1000 ग्रामों को लाभान्वित किया जा चुका है।

2. आदिवासी सांस्कृतिक दलों को सहायता योजना–

इस योजना के तहत आदिवासी संस्कृति को अक्षुण्य बनाये रहने हेतु उनके पारंपरिक संस्कुति के परिरक्षण विकास हेतु सांस्कृतिक दलों को आवश्यक सामाग्रियो की व्यवस्था हेतु सहायता दिया जाता है। इसके तहत दलों को रूपये 10000/– मात्रा सहायता देने का प्रवधान है, जिसके तहत प्रत्येक विकासखंड से अधिकतम पांच दलों को सहायता दिया जाना है।

लोक कला महोत्सव

1.शहीद वीरनारायण सिंह समृति आदिवासी लोककला महोत्सव–

प्रति वर्ष 10 दिसम्बर को आदिवासी लोककला महोत्सव का आयोजन शहीद वीर नारायण सिंह की जन्मस्थली सोनाखान में किया जाता है उसमें आदिवासी लोक नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन कर उत्कृष्ठ दलों को पुरस्कृत किया जाता है।

2.गुरू धासीदास लोक कला महोत्सव–

अनुसूचित जाति लोक नृत्य जैसे पंथी , चौका आदि का आयोजन का उत्कृष्ट दलों को पुरुस्कृत किया जाता है इसका आयोजन प्रतिवर्ष 18 दिसम्बर 31 दिसम्बर मे मध्य किया जाता है।

विभाग के अंतर्गत संचालित प्रधिकरणः

1. अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण–

रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, धमतरी, कवर्धा , बिलासपुर, रायगढ., कोरबा एवं जांजगीर मिलों को मिलाकर अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है, इसके माध्यम से अनुसूचित जाति बाहूल्य ग्रामें के विकास के लिए योंजनायें संचालित की जा रही है ।

2.बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र विकास प्राधिकरणः

उत्तर बस्तर, कांकेर , दक्षिण बस्तर , दन्तेवाडा. जगदलपुर ,एवं एकीकृत आदिवासी वि[illegible] परियोजना क्षेत्रा नगरी गरियाबंद,डौंडी एवं राजनांदगांव को मिलाकर गठन किया गया है। इसके माध्यम से स्थानीय विकास के कार्य सुगमता से स्वीकृत किये जा रहे है।

3. भुंजिया एवं विकास प्राधिकरणः

भुंजिया एवं कमार जनजाति के विकास हेतु पृथक से बजट प्रावधान रखकर विकास की योजनाये संचालित की जाती है।

सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास रायपुर

कलेक्टर
रायपुर

Arun Printers 9329103655

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
(छ.ग.)

विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति
पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के लिए संचालित कल्याणकारी योजनाऐं

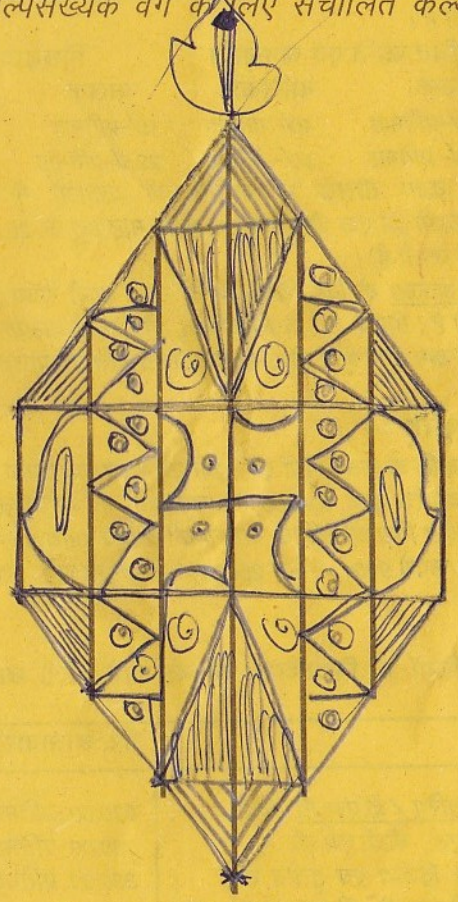

कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) रायपुर
(प्रचार प्रसार हेतु)

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाएँ

(अ) शैक्षणिक विकास की योजनाएँ :–

1. राज्य छात्रावृत्ति

कक्षा 6 वीं से 10 वीं तक की कक्षाओं में अध्ययनरत् अनुसूचित, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग विद्यार्थियों को शिक्षण वर्ष के माह जून से मार्च तक 10 माह हेतु निम्नाकिंत दरों पर राज्य छात्रावृत्ति दी जाती है।

	अनुसूचित जाति एवं जनजाति		पिछड़ावर्ग	
कक्षा	बालक	बालिका	बालक	बालिका
कक्षा 6वीं से 8वीं	30/-प्रतिमाह	40/-प्रतिमाह	15/-प्रतिमाह	22.5/-प्रतिमाह
कक्षा 9वीं से 10वीं	40/- प्रतिमाह	50/-प्रतिमाह	22.5/-प्रतिमाह	30/-प्रतिमाह

इसके अतिरिक्त कक्षा तीसरी से पांचवी की कक्षाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/जनजाति बालिकाओं को एक शैक्षणिक वर्ष के 10 माह हेतु रू. 25/– मासिक (कुल रूपये 250 छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है)।

अनुसूचित जाति/अजजा के विद्यार्थियों को दी जाने वाली राज्य छात्रवृत्ति के लिये कोई आय सीमा निर्धारित नही है। पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को जिनके पालक आयकर दाता ना हो या जिनके पास 10 एकड़ से कम कृषि भूमि हो उन्हें राज्य छात्रवृत्ति की पात्रता है।

2. मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति :–

अनु.जाति एवं जनजाति के कक्षा 11वीं एवं 12वीं एवं उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्रों को जिनके पालकों की वार्षिक आय 100000/– तक होने पर मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। पिछड़ावर्ग के ऐसे विद्यार्थी जिनके पालक की वार्षिक आय 9000/– तक हो उन्हें पूरी एवं जिनकी वार्षिक आय रूपये 9001/– से 25000/– तक हो उन्हें आधी छात्रवृत्ति की पात्रता होगी।

अनु.जाति एवं जनजातियों के विद्याथियों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति

क.0	समूह कक्षा	गैर छात्रावासी	छात्रावासी
1.	चिकित्सा/इंजीनियरिंग/बी.एस.सी. (कृषि)	330.00 प्रतिमाह	740.00 प्रतिमाह
2.	बी.पी.एड./एम.पी.एड., बी.बी.एस.सी.	330.00 प्रतिमाह	510.00 प्रतिमाह
3.	पालिटेकनिक(प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष) एम.ए., एम.कॉम, बी.एस.सी., बी.एच.एस.सी. और एल.एल.बी.(प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष)	330.00 प्रतिमाह	510.00 प्रतिमाह
4.	बी.ए., बी.कॉम, बी.एस.सी., बी.एच.एस.सी. (प्रथम वर्ष) 11वीं, 12वीं (10+2)	140.00 प्रतिमाह	235.00 प्रतिमाह
5.	बी.ए., बी.कॉम, बी.एस.सी.,(द्वितीय एवं तृतीय वर्ष)	185.00 प्रतिमाह	355.00 प्रतिमाह

इसके अतिरिक्त व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेशित अनु.जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों को जिन्हें पो. में छात्रवृत्ति की पात्रता नही है। उन्हें देय शिक्षण/विकास शुल्क में निम्नानुसार छुट दी जाती है।

वार्षिक आय छुट– रूपये 100000/– से 200000/– तक की पूरी फीस
रूपये 200000/– से 250000/– तक आधी फीस

3. पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्तिः–

			रू.प्र.मा.	रू.प्र.मा.	रू.प्र.मा.	रू.प्र.मा.
01	मेडिकल तथा इंजीनियर	प्रथम द्वितीय व तृतीय वर्ष	105	100 115	110 210	220 225
	बी. व्ही. एस.बी.एस.सी. कृषि	प्रथम द्वितीय व तृतीय वर्ष	100 105	110 115	185 185	195 200
02	डिप्लोमा कोसेस इंजीनियरिंग मेंडिकल कालेज टेंक्नोलॉजी तथा पेस्ट ग्रेजयुट इन आर्टस एंड कामर्स	प्रथम द्वितीय व तृतीय वर्ष	100 105	110 115	125 130	135 145
03	सर्टिफिकेट कोसेस इंजीनियरिंग मेंडिकल कालेज टेंक्नोलॉजी तथा पेस्ट ग्रेजयुट इन आर्टस एंड कामर्स	प्रथम द्वितीय व तृतीय वर्ष	100 105	110 115	125 130	135 145
04	जनरल अप टू ग्रेजवेट लेंबल के बाद	प्रथम द्वितीय तृतीय वर्ष	55 70	70 85	100 115	110 130
05	कक्षा 11 वीं से 12 वीं	कक्षा 11 वीं 12 वीं	50 55	60 70	100 100	110 110

4. अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित छात्र/छात्राओं के लिये छात्रवृत्ति

अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को छात्रवृत्ति की केन्द्र प्रायोजित योजना 1–4–2008 से प्रभावी है। इस योजना के तहत प्री.मै., पो.मै. एवं मेरिट सह साधान आधारित योजना संचालित है। इस योजना के तहत मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध एवं पारसी समुदाय के छात्र/छात्रा लाभान्वित होंगे :–

प्री.मेट्रिक छात्रवृत्ति :–

यह छात्रवृत्ति कक्षा 01 से 10 तक के उन छात्र/छात्राओं को दी जाती है। जिनके माता–पिता/ अभिभावक की सभी स्त्रोंतो से वार्षिक आय 1,00,000/–(एक लाख) से ज्यादा न हो एवं पिछली परीक्षा में 50: से कम अंक प्राप्त न किये हो। छात्रवृत्ति पूरे पाठ्यकम के लिए प्रदान की जाएगी, अनुरक्षण भत्ता एक शैक्षणिक वर्ष 10 माह की अवधि के लिए दिया जाएगा। निम्नानुसार है :–

क्र.	मद	हॉस्टलवासी	दिवास्कॉलर
1	कक्षा 6 से 10 के लिये प्रवेश शुल्क	वास्तविक या 500 रू. प्रतिवर्ष	वास्तविक या 500 रू. प्रतिवर्ष
2	कक्षा 6 से 10 के लिये शिक्षक शुल्क	वास्तविक या 350 रू. प्रतिमाह	वास्तविक या 350 रू. प्रतिमाह
3	एक शैक्षिक वर्ष में केवल 10माह के लिये ही अनुरक्षक भत्ता प्रदान किया जायेगा	वास्तविक या 350 रू. प्रतिमाह	वास्तविक या 350 रू. प्रतिमाह
4	कक्षा 1 से 5 कक्षा 6 से 10	शुन्य वास्तविक या 600 रू. प्रतिमाह	100रू. प्रतिमाह 100 रू. प्रतिमाह

पो.मै.छात्रवृत्ति :–

यह छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक समुदाय के आर्थिक रूप से कमजोर निर्धारित छात्रों को प्रदान की जाती है। यह कक्षा 11 एवं 12 स्तर के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र में तकनीकी एंव व्यवसायिक पाठ्यकम को कवर करेंगी, जो राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद से संबंधित है। इस छात्रवृत्ति पिछली परीक्षा में 50 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राऐं जिनके माता/पिता/ अभिभावक की सभी स्त्रोंतो से वार्षिक आय 2,00,000/–(दो लाख) रूपये से अधिक न हो पात्र होते है। छात्रवृत्ति पूरे पाठ्यकम के लिए प्रदान की जाएगी, अनुरक्षण भत्ता एक शैक्षणिक वर्ष 10 माह की अवधि के लिए नही दिया जाएगा छात्रवृत्ति की दर निम्नानुसार है –

छात्रवृत्ति की दर

क्र.	मद	हॉस्टलवासी	दिवास्कॉलर (राशि रूपयों मे)
1	कक्षा 11 से 12 के लिये दाखिला तथा प्रवेश शुल्क	वास्तविक अधिकतम 7000 रू. प्रतिवर्ष	वास्तविक अधिकतम 7000 रू प्रतिवर्ष
2	कक्षा 11 से 12 के स्तर के तकनिकी तथा व्यावसायिक पाठ्यकम 1 शिक्षक शुल्क (कार्यो माल आदि के लिये लिया जमा शुल्क/प्रकार सहित	वास्तविक अधिकतम 10000 रू. प्रतिवर्ष	वास्तविक अधिकतम 10000 रू. प्रतिवर्ष
3	अंडर ग्रेज्युएट और पोस्ट ग्रेज्युएट के लिये दाखिला तथा शिक्षक शुल्क	वास्तविक अधिकतम 3000 रू. प्रतिवर्ष.	वास्तविक अधिकतम 3000 रू. प्रतिवर्ष.
4	एक शैक्षिक वर्ष में केवल 10 माह के लिये अकरक्षक भत्ता(अध्ययन सामाग्री आदि के लिये खर्च शामिल)		
5	(1) कक्षा 11 और 12 और इन स्तर के उद्यानिकी और व्यावसायिक पाठ्यकमों सहित	235 रू. प्रतिमाह	185 रू. प्रतिमाह
6	एम.फिल और पी.एच.डी. (यह उन शोधकर्ताओं के लिये है जिन्हें विश्वविद्यालय या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा कोई फैलांशिप प्रदान नही की जाती है।)	510 रू. प्रतिमाह	330 रू. प्रतिमाह

मेरिट सह साधन आधारित छात्रवृत्ति

छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक वर्ग के स्नातक पूर्व तथा स्नातकोत्तर स्तर पर तकनिकी एवं व्यावसायिक पाठ्यकमों में भारत के अंदर स्थित शैक्षणिक संस्थानों तथा भारत सरकार द्वारा सूचित संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को दी जाती है।

क्र.	विवरण	छात्रावास	दिवास्कॉलर
1	अनुरक्षण भत्ता (10 माह हेतु) से कुल रू.10,000/–	रू. 1000/– प्रतिमाह दर दर से कुल रू. 10,000/–	रू. 500/– प्रतिमाह दर से कुल रू. 5,000/–
2	पाठ्यकम शुल्क वास्तविक जो भी कम हो।	रू. 20,000/– प्रतिवर्ष या वास्तविक जों भी कम हो	रू. 20,000/– प्रतिवर्ष या
	योग :–	30,000/–	25,000/–

पात्रता :– (1) यह छात्रवृत्ति उन विद्यार्थियों को दी जावेगी जिनका चयन मान्यता प्राप्त तकनिकी/ व्यवसायिक संस्थाओं की प्रवेश परीक्षा में प्रावीण्य के आधार पर हुआ है।

(2) यदि विद्यार्थी का प्रवेश बिना प्रतियोगी परीक्षा के हुआ है, तो वे भी छात्रवृत्ति पाने के योग्य होंगे, बशर्ते उनका हायर सेकेण्डरी/ स्नातक परीक्षा में न्यूनतम अंक 50 प्रतिशत हो।

(3) पालक की सभी स्त्रोंतो से आय रूपये 2.50 लाख वार्षिक से अधिकन हो।

चयन :– (1) निर्धनता सह प्रावीण्यता के आधार पर चयन किया जावेगा।

(2) कुल देय छात्रवृत्तियों का न्यूनतम 30 प्रतिशत छात्राओं को देय होगा परंतु वांछित संख्या तक छात्राओं के आवेदन पत्र प्राप्त न होने पर उक्त छात्रवृत्ति छात्रों को दी जा सकेगी।

उपबंध :– (1) इंटर्नशिप या हाऊसमैनशिप की अवधि में यह छात्रवृत्ति देय नही होंगी।

(2) छात्रवृत्ति केवल एक स्त्रोत या योजनान्तर्गत देय होगी।

(3) किसी भी तरह के त्रुटिपूर्ण/फर्जी जानकारी दिया जाना पाये जाने पर, छात्रवृत्ति निरस्त की जावेगी।

5. प्रावीण्य छात्रवृत्ति :–

कक्षा पांचवी, आठवीं की बोर्ड परीक्षाओं में उत्तीर्ण अनु.जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों को जिले से प्राप्त प्राविण्य सूची के अनुसार जिले के लिये निर्धारित लक्ष्य एवं प्राविण्यता के आधार पर कक्षा छठवीं से आठवीं तक 400 रूपये वार्षिक तथा नवमी से दसवीं तक 500 रूपये वार्षिक प्राविण्य छात्रवृत्ति दी जाती है।

6. कन्या साक्षरता प्रोत्साहन छात्रवृत्ति :–

अनु.जाति तथा अनु.जनजाति की बालिकायें जिन्होंने कक्षा पांचवी की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो उन्हें कन्या शिक्षा प्रोत्साहन के उद्देश्य से कक्षा छववीं में प्रवेश लेने पर रूपये 500 की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

7. अस्वच्छ धंधों में लगे परिवार के बच्चों को विशेष छात्रवृत्ति :–

मृत जानवरों के चमड़े छीलने/पकाने तथा परंपरागत शुष्क शौचालयों की सफाई में लगे परिवार के बच्चों को केन्द्र सरकार की विशेष छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत कक्षा पहली से दसवीं तक के विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष रूपये 1100/– छात्रवृत्ति एवं रूपये 750/– अनुदान (कुल रूपये 1850/– प्रतिवर्ष) छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

8. छात्रावास/आश्रम सुविधा :–

अपने निवास के 3 कि.मी. की दूरी में शिक्षण संस्थान न होने से अन्य संस्था में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को निःशुल्क आवास, पानी, बिजली, भोजनालय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से छात्रावास/आश्रम संचालित है। इन संस्थाओं में निवासित अनु.जाति तथा अनु. जनजाति के प्री.मैट्रिक स्तर के बालक/बालिका को रूपये 450/– मासिक शिष्यवृत्ति प्रदान की जाती है। एक वर्ष में यह शिष्यवृत्ति 10 माह हेतु दी जाती है तथा मैट्रिकोत्तर स्तर के विद्यार्थियों को छात्रावासी की दर से मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

9. छात्र गृह योजना :–

उच्चतर माध्यमिक स्तर एवं महाविद्यालयीन विद्यार्थी जिन्हें छात्रावासों में प्रवेश नही मिल पाया हो उन विद्यार्थियों के आवास की कठिनाई को ध्यान में रखते हुए यह योजना संचालित की जाती है। इसके अंतर्गत पांच या उससे अधिक अनु. जाति/ अनु.जनजाति विद्यार्थी जिस किराये के मकान में रहते है उनके किराये का भुगतान विभाग द्वारा जाता है एवं इस प्रकार के छात्र गृहों में निवासित विद्यार्थियों को छात्रावासी दर से मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

10. आगमन भत्ता :–

विभाग के मैट्रिकोत्तर छात्रावासों में प्रवेशित विद्यार्थियों को न्यूनतम आवश्यक सामाग्रियों(गद्दा, चादर, थाली, गिलास, आदि) के कय करने हेतु आगमन भत्ता दिये जाने का प्रावधान है। अध्ययन समाप्ति पर विद्यार्थी उक्त भत्ते से कय की गई सामाग्रियों को अपने साथ ले जा सकता है। प्रथम वर्ष हेतु रूपये 800/– द्वितीय वर्ष हेतु रूपये 250/– तृतीय वर्ष रूपये 200/– आगमन भत्ता शासन द्वारा दिया जाने का प्रावधान है।

11. मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम :–

प्राथमिक शालाओं/माध्यमिक शालाओं एवं आश्रम शालाओं तथा शासकीय अनुदान प्राप्त शालाओं में विद्यार्थियों को मध्यान्ह भोजन दिया जाता है। प्रतिदिन 100 ग्राम चावल दिया जाता है, तथा दाल/सब्जी/ईधन हेतु 3.00 रूपये प्रति विद्यार्थी के दर से संस्था में तैयार कर गरम भोजन स्थानीय निकाय अथवा स्व सहायता समूह द्वारा संचालित किया जा रहा है।

12. अशासकीय संस्थाओं को अनुदान :–

प्रदेश की ऐसी अशासकीय संस्थायें जो अनु.जाति तथा अनु.जनजाति के विद्यार्थियों के शैक्षणिक उत्थान में लगे हुये है उन्हें विभाग द्वारा शत्प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है।

13. बोर्ड शुल्क की प्रतिपूर्ति :–

माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अनु.जाति तथा अनु.जनजाति के विद्यार्थियों को लगने वाली बोर्ड परीक्षा शुल्क की शत्प्रतिशत प्रतिपूर्ति विभाग द्वारा दी जाती है।

14. गणवेश प्रदाय :–

प्रदेश के प्राथमिक शालाओं में कक्षा 1 से 5 वीं तक के अध्ययनरत अनु.जाति तथा अनु.जनजाति की बालिकाओं को एक सेट गणवेश का विभाग द्वारा निःशुल्क प्रदान किये जाने का प्रावधान है। विशेष पिछड़ी जनजाति के कक्षा 1 से 8वीं तक के बालक/बालिकाओं को गणवेश दिया जाता है।

15. जवाहर आदिम जाति उत्कर्ष योजना :–

अनु.जाति/जनजाति के प्रतिभावन छात्र–छात्राओं को शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने उत्कृष्ठ आवासीय शिक्षण संस्थाओं (शासकीय एवं निजी) में प्रवेश दिलाकर प्रतिस्पद्धात्मक बनाना। इस योजना के तहत 5 वीं एवं 10वीं बोर्ड परीक्षा में जिले मे कमशः न्यूनतम 85: तथा 80: से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी पात्र होंगे। इसके तहत विद्यार्थियों को संस्था से स्कूल में देय शुल्क की प्रतिपूर्ति विभाग द्वारा वहन किया जावेगा।

16. मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना :–

यह योजना वर्ष 2007–2008 से लागू की गई है, इसके अंतर्गत छ.ग. मा.शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित कक्षा 10 वीं एवं 12 वीं बोर्ड परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले अनु जाति / जनजाति के विद्यार्थियों को मा.शिक्षा मंडल द्वारा जारी प्राविण्य सूची के आधार पर 10000/– का पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र दिया जाता है।

17. सरस्वती सायकल योजना :–

आदिवासी क्षेत्रों के भौगोलिक स्थित नदी,पहाड़ ग्रामों से स्कूल की दूरी एवं बिरल जनसंख्या के कारण छात्राओं की शिक्षा बाधित होती है। प्रवेशित छात्राओं को आठवीं के पश्चात् हाईस्कूल शिक्षा ग्रहण करने के लिये अनु.जाति एवं अनु.जनजाति की कन्याओं 9वीं में प्रवेशित है, उन्हें निःशुल्क सायकल विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है। वर्ष 2006–07 से विशेष पिछड़ी जनजाति के बालकों को भी सायकल दिया जा रहा है। इसके साथ ही बी.पी. एल. के छात्राओं को भी सायकल प्रदान किया जाता है।

18. स्वस्थ तन स्वस्थ मन :–

छात्रावास/आश्रमों में निवास करने वाले छात्र/छात्राओं के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण हेतु यह योजना वर्ष 2007–08 से लागू की गई है। इसके अंतर्गत चिकित्सा सुविधा विहीन क्षेत्रों में संचालित छात्रावास–आश्रम में निवासरत छात्र–छात्राओं का माह में दो बार स्वास्थ्य परीक्षण योग्यता प्राप्त चिकित्सक द्वारा किया जाता है।

19. विशेष कोचिंग केंन्द्र योजना :–

दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षकों का अभाव बना रहता है। इसके कारण छात्रावास आश्रमों में निवासरत विद्यार्थी कठिन विषयों में कमजोर रह जाते है। इस योजना का उद्देश्य अनु.जाति तथा अनु.जनजाति छात्रावासों में निवासरत विद्यार्थियों को विशेष शिक्षक के माध्यम से कठिन विषयों के परीक्षा परिणाम पर गुणात्मक सुधार के साथ प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने योग्य बनाना है।

20. छात्र भोजन सहाय योजना :–

इसके तहत कक्षा 11 वीं एवं आगे की कक्षाओं में अध्ययनरत छात्रावासी विद्यार्थियों को केन्द्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति दी जाती है। जिसकी दरें पर्याप्त नही होने के कारण छात्रावासों में भोजन व्यवस्था हेंतु अपने घर से धनराशि की व्यवस्था करनी पड़ती है। शिक्षा की इस स्तर पर छात्र– छात्राओं को विशेष पोषण आहार की भी आवश्यकता होती है, इसकी प्रतिपूर्ति हेतु पूरक रूप में सहायता देना जिससे छात्र–छात्राओं का अध्ययन प्रभावित न हो। इसके अंतर्गत प्रतिमाह 200/–रू. सहायता दी जाती है।

21. एयर होस्टेस एवं पायलट प्रशिक्षण :–

एयर होस्टेज प्रशिक्षण योजनांतर्गत वर्ष 2008–09में 19 अनुसूचित जाति के छात्राओं को फेकलिन एयर होस्टेज प्रशिक्षण से था, रायपुर में विभाग द्वारा निःशुल्क प्रशिक्षण दिलाया जा है ; प्रशिक्षण फीस की प्रतिपूर्ति हेतु संस्था को 14,05,050/– भुगतान किया गया है ।

इसी तरह उक्त योजनांतर्गत अनुसूचित जनजाति के 96 छात्राओं को सेंट्रल एयर होस्टेज संस्था, रायपुर में प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है। प्रशिक्षण फीस की प्रतिपूर्ति हेतु संस्था को 11,02,500/–रूपये का भुगतान किया गया है । उक्त प्रशिक्षण की अवधि 1 वर्ष की होती है

पायलट प्रशिक्षण हेतु वर्तमान कोई भी छात्रा प्रशिक्षण नहीं ले रहे है।

22. आदर्श शाला पुरस्कार योजना :

इस योजना का उद्देश्य हाई स्कूल/उ.मा.वि.में स्वच्छ शैक्षणिक प्रतिस्पर्धा उत्पन्न कराना है। इसके तहत प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ तीन शालाओं को शैक्षणिक वर्ष में किये गये उपलब्धीयों हेतु पुरस्कृत किया जाता है । जिसमें प्रथम पु .3,00,000/– द्वितीय पु. 2,00,000/– तृतीय पु. 1,00,000/– नगद दिया जाता है ।

23. आदर्श शिक्षक पुरस्कार–

इस योजना का उद्देश्य स्कूल शिक्षा विभाग एवं आदिवासी विकास विभाग द्वारा संचालित शालाओ के शिक्षको द्वारा उत्कृष्ठ परीक्षा परिणाम देने / अनुशासन नियमितता एवं आदिवासी शिक्षा के विकास में उच्च प्रतिमा स्थापित करने के आधार पर आदर्श शिक्षक का चयन कर प्रोत्साहन स्वरूप किया जाना है। योनांतर्गत चयनित शिक्षकों को शिक्षक दिवस के उपलब्ध में निर्धारित पुरस्कार राशि एवं प्रशस्ती पत्र प्रदान किया जाता है । यह पुरस्कार जिला एवं स्तर पर दिया जाता है।

24.कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजनाः

इस योजना का उद्देश्य अनु. जनजाति वर्ग के छात्रावास/ आश्रम में अध्ययनरत् विद्यार्थियों को कम्प्यूटर फेण्डली बनाना है, जिससे वे कम्प्यूटर आधारित शिक्षण एवं कार्य में दक्ष हो सके , जिसमें कक्षा 6वीं से 12 वीं एवं उक्त कक्षाओ के विद्यार्थी पात्र होगे। इस प्रशिक्षण की अवधि 6माह की होगी एवं प्रशिक्षण निःशुल्क होगा ।

25. विभागीय शिक्षण संस्थाएंः–

विभाग द्वारा निम्नलिखित शैक्षणिक संस्थाओं एवं छात्रावास –आश्रम शाला का संचालन किया जा रहा है :–

संस्था का विवरण

क.	वि0ख0	प्रा.शा.	मा.शा.	हाई स्कूल	उ.मा.वि.	कीडापरि.	प्री.मै.छा.	पो.मै.छा	आश्रम शा.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	गरियाबंद	206	102	05	09	01	10	02	10
2	छुरा	232	103	10	12	–	12	01	07
3	मैनपुर	295	122	06	10	–	09	01	10
4	अभनपुर	–	–	–	–	–	06	–	–
5	आरंग	–	–	–	–	–	04	01	01
6	बलौदाबाजार	–	–	–	–	–	11	03	–
7	भाटापारा	–	–	–	–	–	08	02	–
8	बिलाईगढ.	–	–	–	–	–	20	02	02
9	धरसींवा	–	–	–	–	–	07	16	01
10	देवभोग	–	–	–	–	–	03	–	–
11	फिंगेश्वर	–	–	–	–	–	07	–	–
12	कसडोल	–	–	–	–	–	17	02	05
13	पलारी	–	–	–	–	–	02	01	02
14	सिमगा	–	–	–	–	–	07	01	–
15	तिल्दा	–	–	–	–	–	06	–	–
	कुल योग	733	327	21	31	01	129	32	38

26. अनुसूचित जाति/जनजाति युवाओं को निःशुल्क वाहन चालक प्रशिक्षण योजना –2008:–

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के युवको को निःशुल्क वाहन चालक प्रशिक्षण योजना के तहत वर्ष 2002–10 में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 18 सीट का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योजना के तहत औधोगिक प्रशिक्षण संस्था में प्रशिक्षण दिये जाने का प्रावधान है , इन्हें वाहन चालक –सह मैकेनिक का भी प्रशिक्षण दिया जायेगा । प्रशिक्षण पर होने वाला व्यय एवं व्यवसायिक लाइसेंस का निर्धारित शुल्क विभाग द्वारा वहन किये जाने का प्रावधान है, प्रशिक्षण छः माह का होगा।

प्रशिक्षणार्थियों को भोजन की व्यवस्था हेतु 500/– शिष्यवृत्ति कम से कम 90प्रतिशत उपस्थित होने पर ही देय होगी। प्रशिक्षणार्थियों के रहने के लिए छात्र गृह योजना की भांति जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित मकान के किराये का भुगतान विभाग के द्वारा मकान मालिक को किया जायेगा। इसके अलावा बिजली एवं जल व्यवस्था के लिए विभाग द्वारा भुगतान किया जायगा।

प्राप्त आवेदन पत्रों के परीक्षाणोपरांत कक्षा आठवीं के प्राप्तांक के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार कर प्रशिक्षणार्थियों का चयन किया जायेगा।

27. सामाजिक व आर्थिक सहायता की योजनाएँ:

1. सामाजिक व आर्थिक सहायता की योजताएं–

अनु. जाति तथा अनु. जनजाति के लोगों को स्वर्ण द्वारा उत्पीड़न हत्या,बलात्कार,अपमानित करने शारीरिक आधात पहुंचानें, संपत्ति को हानि पहुचाने आदि के मामले मे विभाग द्वारा पीड़ितो को तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है । विभिन्न प्रकरणों मे राशि की सीमा 25000/–से 200000/– तक है साथ ही उत्पीडित व्यक्ति एवं उसके परिवार को पेयजल, कृषि भूमि, बच्चों की शिक्षा सामाजिक पुनर्वास स्वरोजगार ,विकलांगो की कृत्रिम अंग आदि हेतु सहायता उपलब्ध कराई जाती है ।

2. राहत योजना–

इस योजना के तहत साधनहीन कन्याओ के विवाह हेतु रूपये 1500/–एवं ऐसी कन्या जिनके मां–बाप ना हो उसके विवाह हेतु 30000/–की आर्थिक सहायता की जाती है साथ ही आर्थि दुर्धटना अति संकटपन्न स्थिति में प्रकरण की परिस्थति के अनुरूप अधिकतम रूपये 20000/– तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

3.नाई पेटी योजनाः –

इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रो मे परंम्परागत बाल काटनें के व्यवसाय मे लगे लोगों को प्रोत्साहित कर स्थानीय स्तर पर रोजगार सुनिश्चित कर शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन रोकना , इसके तहत पेटी एवं बाल कटिंग से संबंधित आवश्यक औजार एवं अन्य सामग्रियां चयनित हितग्राहियों को निःशुल्क प्रदान करने का प्रावधान है।

4. सद्भावना शिविरका आयोजन :–

अस्पृश्यता निवारण हेतू सभी वर्गो के लोगो के बीच सौहार्द्रपूर्ण वानावरण के निर्माण के उद्देश्य से अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र में प्रति वर्ष सद्भावना शिविर का आयोजन किया जाता है , जिसमें वर्ण भेद रहित सामूहिक भोज , वाद – विवाद प्रतियोगिता आदि का कार्यक्रम किया जाता है।

5. अर्न्तजातीय विवाहः –

किसी संवर्ण हिन्दु युवक/युवती का अनुसूचित जाति के युवक /युवती से विवाह करने पर ऐसे आदर्श प्रस्तुत करने वाले दम्पत्ति को पूर्व में 6000/– नगद एवं प्रशस्ति पत्र से सम्मा किये जाने का प्रावधान था, जिसे छत्तीसगढ. शासन द्वारा आदेश दिनांक 28–08–2009 द्वारा बढ.ाकर 25000/– किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2009–10 में योजनांतर्गत 13 दम्पत्तियों का चयन किया ग या है तथा उन्हें 6000/– प्रति दम्पत्ति मे मान से कुल 78000/– स्वीकृत किया गया है उन्हे शिविर में नगद राशि एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जायेगा।

6. रविदास चर्म शिल्प योजना 2008:

इस योजना के तहत परंपरागत चर्मशिल्प/मरम्मत/ पालिश व्यवसाय में लगे अनुसूचित जाति के लोगो को स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार हेतु सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

ऐसे व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें पेटी निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है, जिससे चर्मशिल्प/ मरम्मत/पालिश से संबंधित कार्य हेतु उपयोगी हो सकें ।

हितग्राहियों का चयन ग्रामीण क्षेत्रो सभा एवं शहरी क्षेत्र में नगरीय निकाय द्वारा किया जाता है। चयनित हितग्राहीयों की सुची जनपद/नगरीय निकाय के माध्यम से सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास को भेजी जाती है। चयनित हितग्राहियों को मात्रा एक ही बार पेटी प्रदान की जाती है।

क्षेत्रिय विकास कार्यक्रम

1.स्थानिय विकास कार्यक्रमः

योजनांतर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता के मद में प्राप्त राशि परियोजना मंडल की सलाह एवं स्वीकृति से जिले की आदिवासी उपयोजना क्षेत्र एवं माड.ा पॉकेट क्षेत्र में स्थानिय आवश्यकता के अनुरूप प्राथमिकता के आधार पर पेय जल सुविधा, पहुंचमार्गो , पुल पुलियों ,रपटों का निर्माण शिक्षा संस्था भवनो में अतिरिक्त कमरों का निर्माण, चिकित्सक आवास गृह आदि के निर्माण कार्य संपन्न कराये जाते है, तथा इस राशि से परिवार मूलक कार्य भी किये जाते है।

क्षेत्रिय विकास कार्यक्रमः

जिले के 80 प्रतिशत से अधिक अनु. जाति बाहुल्य ग्रामों , टोला में मुलभूत आवश्यक सुविधायें उपलब्ध करने के उद्देश्य से शासन से प्राप्त अनाबद्ध राशि से स्थानित जरूरत एवं प्राथमिकता के आधार पर पेय जल सुविधा, नाली, खरंजा निर्माण, प्राथमिक शाला भवनों का निर्माण , छात्रावासों / आश्रमों को न्यूनतम आवश्यक सामाग्रियों का प्रदान सामूहिक सिंचाई आदि कार्य जनपद पंचायतो के माध्यम से कराये जाते है ।

3. अनुसूचित जाति बस्तियों का सधन विकासः

योजनांतर्गत प्राप्त राशि से अनु. जाति बाहुल्य बस्तियों टोलों मे बुनियादी सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये पहुंच मार्ग निर्माण एवं मरम्मत,. गंदे पानी की निकासी हेतु नाली का निर्माण , सामुदायिक भवन, पेयजल व्यवस्था आदि सार्वजनिक उपयोग के कार्य जनपद पंचायत के माध्यम संपन्न करायें जाते है।

4. सामुदायिक मंगल भवन योजना :

इस योजना के अंतर्गत अनुचित जाति ग्रामों मे निवासरत अनु. जाति वर्ग के लोगों के सांस्कृतिक सामाजिक कार्यो को संपन्न करे एवं सामाजिक समरसता में वृद्धि करने हेतु मंगल भवनों का निर्माण किया जाता है।

5. विभागिय संस्थाओं के लिये भवनों का निर्माणः

योजनांतर्गत भवन विहीन छात्रावासों / उच्चतर माध्यमिक शालाओं, हाई स्कूलों के लिये भवानों का निर्माण एवं साधारण मरम्मत के कार्य एवं अन्य निर्माण कार्य ऐजेन्सीयो के माध्यम से कराये जाते है।

6. जैतखाम निर्माणः

महान् संत गुरू घासीदास जी का जन्म स्थली गिरौदपुरी में कुतुब मीनार से भी ऊचां जेतखाम का निर्माण कराया जा रहा है ।

7. युवा कैरियर निर्माण योजना :–

अनु. जनजाति एवं अनु. जाति वर्ग के स्नातकों को संघ एवं राज्य लोक आयोग की परीक्षा की तैयारी हेतु विशेष कोचिंग प्रदान करने के लिये प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थान , का चयन करके रायपुर एवं बिलासपुर में प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है। इस प्रकिया से पिछड़ा वर्ग के लोग भी लाभान्वित होगे